पंजीयन संख्या : 68939/98

ज्ञान तत्व

सत्यता एवं निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक

495

JUNE 2026
अंक - 07

9

ज्ञानयज्ञ मीमांसा

12

ज्ञान तत्त्व पाक्षिक

प्रकाशन की तिथि - 15-07-2026 पोस्ट की तिथि - 01-08-2026

ज्ञान केंद्र
समाज के भविष्य की
वैचारिक प्रयोगशाला
अध्ययन
संवाद
विचार-मंथन
विश्लेषण
विवेकपूर्ण निर्णय
लोकशक्ति संगठन
सामाज जागरण
परिवार
समाज
लोकस्वराज्य
अभियान के तीन उद्देश्य
समाज की स्वशासी शक्ति का जागरण
लोकशक्ति का संगठन
राज्य-निर्भरता में कमी
लोकस्वराज्य क्या है?
लोकस्वराज्य का अर्थ है – व्यक्ति की चेतना का जागरण, परिवार का सुदृढ़ निर्माण, समाज का संगठित प्रयास और शासन पर निर्भरता को कम करते हुए स्वयं अपने निर्णय स्वयं करना।
हमारा लक्ष्य
स्वशासी समाज
उत्तरदायी नेतृत्व
सशक्त ग्रामसभा
लोकस्वराज्य
ज्ञान केंद्र
लोक व्यवस्था जागरण अभियान
संवाद • समन्वय • सहयागिता • उत्तरदायित्व • स्वावलंबन
सशक्त परिवार
संस्कारयुक्त समाज की नींव
सशक्त ग्रामसभा
स्वशासन की व्यवहारिक इकाई
सक्रिय नागरिक
परिवर्तन के सूत्रधार
उत्कृष्ट समाज
स्वाववलंबी समृद्ध भारत
संक्रिम एवं उत्तरदायी राज्य
समृद्ध एवं स्वावलंबी भारत
हमारा विश्वास – समाज जागेगा, लोकशक्ति बढ़ेगी, राज्य उत्तरदायी बनेगा, राष्ट्र सशक्त होगा!

सिंहावलोकन

05 ज्ञान-यज्ञ की शुरुआत

06 ज्ञान-यज्ञ प्रगति समीक्षा

07 ज्ञान-यज्ञ क्यों, क्या और कैसे?

14 ज्ञान केंद्र योजना

16 ज्ञान केंद्र कैसे कार्य करेगा?

17 नई समाज व्यवस्था

24 "संवैधानिक और सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा" पुस्तक का लोकार्पण

25 मृतक संस्कार : ऋणमुक्ति और उत्तरदायित्वों की निरंतरता का भारतीय विधान
ज्ञानेन्द्र आर्य

ज्ञानतत्त्व दैनिक

सत्यता और निष्पक्षता का आपका दैनिक स्रोत

GYANTATVA.IN

रामानुजगंज और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक नया, विश्वसनीय और जिम्मेदार समाचार मंच ज्ञानतत्त्व दैनिक अब आपके बीच है। यह वेब पोर्टल स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर तक की खबरों को तथ्यात्मक, संतुलित और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करता है।
हमारा उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं, बल्कि समाज के वास्तविक मुद्दों को सामने लाना और जन-सरोकार को मजबूत करना है।

प्रधान संपादक
बजरंग लाल अग्रवाल
(बजरंग मुनि)

संपादक मण्डल
नरेन्द्र सिंह-9012432074
संजय तिवारी-7753934242

सह संपादक
ज्ञानेन्द्र आर्य -8318621282

सदस्यता नियमन
संजय गुप्ता 8726694777
कुशल दुबे 7999934238

सज्जा
लाल बाबू रवि-7000475949

वितरण एवं मुद्रण सहयोग
रबीन्द्र विश्वास-9630766001

ज्ञान केन्द्र विचार, समन्वय और परिवर्तन के तीर्थ

विचार, समन्वय एवं परिवर्तन के तीर्थ
ज्ञान केन्द्र

लोकव्यवस्था जागरण अभियान

MARGDARSHAK मार्गदर्शक "शराफत से समझदारी की ओर"

समाज की स्वशासी शक्ति के जागरण और राज्य-निर्भरता से मुक्ति का अभियान।

ज्ञान केंद्र प्रांतीय अधिवेशन 2026

25-26 जुलाई 2026

अयोध्या धाम, उत्तर प्रदेश

विवेक सृष्टि : रामघाट निकट रामसेवकपुरम अयोध्या उ. प्र.

हर तहसील में ज्ञान केंद्र, समाज में संवाद और परिवर्तन

अधिवेशन के प्रमुख उद्देश्य

- लोकव्यवस्था परिवर्तन के तीनों आयामों पर कार्यरत कार्यकर्ताओं का वैचारिक एवं संगठनात्मक समन्वय।
- ज्ञान केंद्रों को "विचार, समन्वय एवं परिवर्तन के तीर्थ" के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना।
- समाज में वैचारिक जागरण, रचनात्मक संवाद एवं जनसहभागिता को बढ़ावा देना।
- पूर्वी एवं मध्य उत्तर प्रदेश में ज्ञान केंद्र विस्तार अभियान की समीक्षा एवं भावी रणनीति निर्माण।
- जिला, तहसील एवं स्थानीय स्तर पर संस्थागत संरचना को सुदृढ़ करना।
- कार्यकर्ताओं का वैचारिक, संगठनात्मक एवं क्रियात्मक प्रशिक्षण।
- समाज जीवन की विविध चुनौतियों पर संवाद तथा समाधान-केंद्रित पहल को प्रोत्साहित करना।
- राष्ट्रव्यापी ज्ञान केंद्र नेटवर्क के निर्माण हेतु अनुभव, संसाधन एवं कार्यपद्धति का आदान-प्रदान।
- आगामी वर्षों के लिए लोकव्यवस्था जागरण अभियान की कार्ययोजना निर्धारित करना।
- "हर तहसील में ज्ञान केंद्र" लक्ष्य की दिशा में ठोस कार्यनीति एवं उत्तरदायित्व निर्धारण।

लोकव्यवस्था जागरण अभियान का उद्देश्य

हमारी आर्थिक धार्मिक सामाजिक पारिवारिक सहित सब प्रकार की व्यवस्थाओं में अनेक प्रकार की कमजोरियां आई हैं और इन्ही हमारी समाज व्यवस्था की कमजोरी का लाभ उठाकर राज्य व्यवस्था ने हमें पूरी तरह गुलाम बना लिया है। इसलिए हम अपनी समाज व्यवस्था की आई कमजोरी को भी दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम राज्य व्यवस्था की गुलामी से मुक्त होने को सबसे अधिक प्राथमिकता देंगे।

कार्यक्रम की रूपरेखा

25 जुलाई 2026

प्रातः 9:30 बजे :उद्घाटन सत्र
- ग्लोब पर माल्यार्पण
- ध्वजारोहण
- स्वागत एवं परिचय
- अधिवेशन की भूमिका

अपराह्न 3:00 बजे :वैचारिक गोष्ठी
विषय: व्यवस्था परिवर्तन क्यों?
- वर्तमान व्यवस्था की चुनौतियाँ
- व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता
- ज्ञान केंद्र की भूमिका
- संवाद, समन्वय एवं परिवर्तन का मॉडल
- प्रश्नोत्तर एवं समूह चर्चा

26 जुलाई 2026

प्रातः 9:30 बजे से मध्याह्न भोजन तक
संस्थागत विकास एवं कार्ययोजना सत्र
- ज्ञान केंद्रों के संस्थागत ढांचे पर चर्चा
- प्रत्यक्ष उदाहरण एवं चर्चा से समाधान
- संस्था के अन्य कार्यक्रमों का परिचय
- समूह चर्चा एवं कार्ययोजना निर्माण

अपराह्न 3:00 बजे
:समीक्षा एवं समापन गोष्ठी
- अधिवेशन की समीक्षा
- आगामी कार्यक्रमों की योजना
- सुझाव, संकल्प एवं उत्तरदायित्व निर्धारण

व्हाट्सएप समूह

कार्यक्रम से संबंधित सूचनाओं एवं अद्यतनों के लिए **QR को स्कैन करें।**

WhatsApp कैमरे से स्कैन करते ही आप अधिवेशन समूह से जुड़ जाएंगे।

विशेष सूचना

सभी प्रतिभागियों हेतु आवास एवं भोजन की व्यवस्था संस्थान द्वारा की जाएगी।

संपर्क

8318621282
gyanyagyap@gmail.com
margdarshak.info

आयोजक

GYANAYAGYA ज्ञानयज्ञ परिवार

मां संस्थान
ज्ञान यज्ञ परिवार

ज्ञान-यज्ञ की शुरुआत

शराफत से समझदारी की यात्रा का प्रारम्भ

बजरंग मुनि
प्रधान संपादक

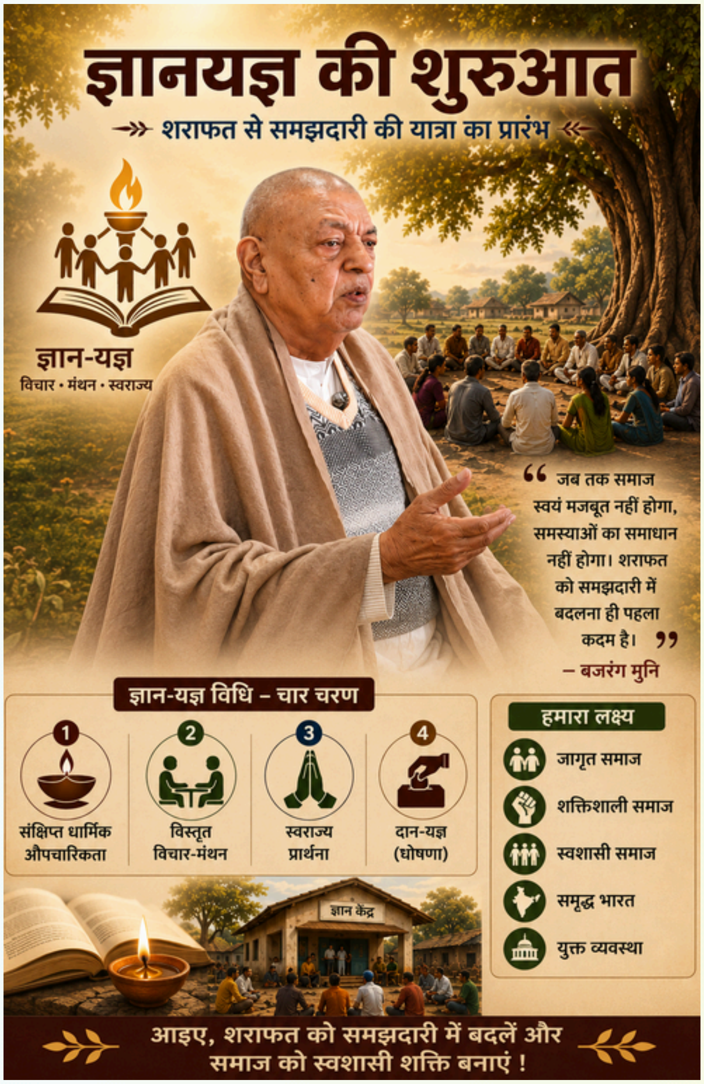

मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि एक पिता के दो पुत्र थे। एक का नाम था धर्म और दूसरे का नाम था राष्ट्र। पिता का नाम था समाज। दोनों पुत्र पिता की सहायता करते थे। धर्म समाज की मदद करता था और राष्ट्र समाज को सुरक्षा देता था। पूरा परिवार ठीक से चल रहा था। धीरे-धीरे दोनों पुत्रों को ऐसा लगा कि पिता को आराम देकर हम दोनों मिलकर पूरा काम संभाल लें। दोनों ने पिता को किनारे करना शुरू कर दिया और स्वयं ही पिता का सारा काम देखने लगे। धीरे-धीरे उन्होंने इस तरह अपना काम करना शुरू किया कि दोनों अपने को पिता से भी ऊपर मानने लगे। परिणाम यह हुआ कि पिता किनारे होता गया और दोनों लड़के आपस में मिलकर काम करने के बजाय आपस में ही टकराने लगे। धर्म कहता था कि मैं समाज से बड़ा हूँ और राष्ट्र कहता था कि मैं समाज से बड़ा हूँ। दोनों अपने पिता को लगातार कमजोर करते जा रहे थे और आपस में ऐसा टकराव करते थे कि पिता बेचारा असहाय दिखने लगा। धर्म के आगे चलकर बच्चे पैदा हुए। किसी का नाम हिन्दू हुआ, किसी का

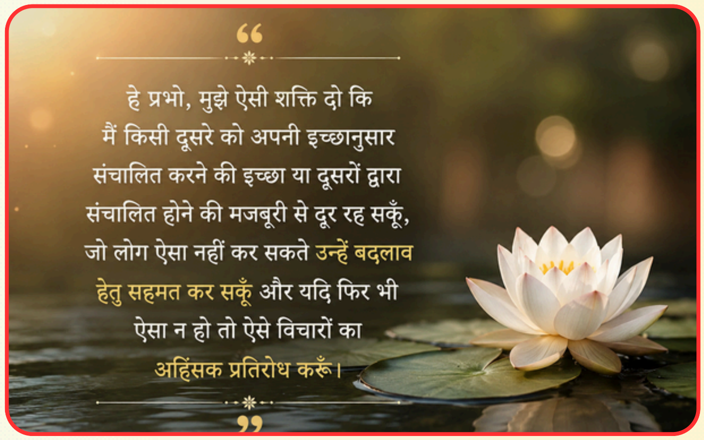

मुसलमान हुआ, किसी का सिख हुआ। इसी तरह राष्ट्र के भी कई बच्चे हुए। किसी का नाम कांग्रेस पड़ा, किसी का भाजपा तथा किसी का कम्युनिस्ट। धर्म के बेटे आपस में इस तरह लड़ने-मरने लगे कि धर्म कुछ कर नहीं पाया। इसी तरह राष्ट्र के बेटे भी आपस में दिन-रात लड़ने लगे और राष्ट्र भी इनको रोकने में सफल नहीं हुआ। स्थिति यहाँ तक आई कि समाज के अपने जीवनकाल में ही उसके परिवार के सदस्य आपस में इस तरह एक-दूसरे के खून के प्यासे हुए कि समाज सिर धुनता रह गया। ये दोनों बेटे और उन बेटों के बेटे सभी अपने पिता का नाम अपने साथ जोड़ते रहे। और साथ में यह भी प्रचारित करते रहे कि वे जो भी लड़ाई-खून-खराबा कर रहे हैं, वह सब समाज के लिए है। दोनों ने ही धीरे-धीरे अपनी पहचान भी बदल ली। संप्रदाय अपने को धर्म कहने लगा और राज्य धीरे-धीरे अपने को देश और बाद में राष्ट्र कहने लगा। ऐसा समय आया जब धर्म और राष्ट्र की वास्तविक परिभाषाएँ ही बदल गईं और समाज कुछ नहीं कर सका। परेशान होकर समाज को महसूस हुआ कि जब तक वह स्वयं मजबूत नहीं होगा, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आवश्यकता है कि समाज रूपी पिता अपने बेटे-पोतों को चुनौती देकर यह आभास कराए कि अभी मैं जीवित हूँ, मजबूत हूँ और यदि जरूरत पड़ी तो तुम सबको किनारे भी कर सकता हूँ।

इसी कहानी के साथ मेरी जीवन-यात्रा शुरू होती है। मैंने यह अनुभव किया कि संप्रदाय और राजनीति धर्म और राष्ट्र के नाम से दिन-रात यह प्रचारित कर रहे हैं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शरीफ होना चाहिए। उसे सिर्फ कर्तव्य करना चाहिए। उसे धर्म और राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ तक कि यदि जान भी देनी पड़े तो किसी को हिचकिचाना नहीं चाहिए। इन सारी परिस्थितियों को बचपन में ही देखकर मैंने व्यवस्था-परिवर्तन के तरीके खोजने शुरू किए और उन तरीकों में मुझे यह महसूस हुआ कि जब तक समाज में शराफत को समझदारी में नहीं बदला जाएगा, तब तक कोई व्यवस्था नहीं बदल सकेगी। आज से 70 वर्ष पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज शहर में शराफत को समझदारी में बदलने का कार्य किया और इसी का नाम ज्ञान-यज्ञ रखा गया।

ज्ञान-यज्ञ विधि

चार प्रकार की क्रियाओं को मिलाकर ज्ञान-यज्ञ होता है।

1. संक्षिप्त धार्मिक भावना-प्रधान औपचारिकता।
2. विस्तृत सामाजिक बुद्धि-प्रधान विचार-मंथन।
3. स्वराज्य प्रार्थना।
4. दान-यज्ञ।

कर्मकाण्ड के अन्तर्गत एक मिनट से तीस मिनट की समय-सीमा में किसी भी भावनात्मक प्रणाली से कर्मकाण्ड पूरा किया जाता है। इसमें यज्ञ आदि भी हो सकता है और अगरबत्ती या दीपक जलाकर भी औपचारिकता पूरी हो सकती है। कुरान-पाठ भी हो सकता है, किन्तु समय-सीमा पूरे विचार-मंथन से पाँचवें भाग से अधिक न हो। यह कर्मकाण्ड श्रद्धापूर्वक किया जाए, किन्तु औपचारिकता तक ही सीमित रहे। विचार-मंथन के अन्तर्गत एक घंटे से ढाई घंटे तक किसी पूर्व-निश्चित विषय पर स्वतंत्र विचार-मंथन होता है। विषय सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैश्विक या अन्य कोई भी हो सकता है। विचार-मंथन का समय यज्ञ-समय के पाँच गुने से कम न हो। अधिक हो सकता है। यदि कोई गीत या भजन होता हो तो वह कर्मकाण्ड के समय में जुड़ सकता है, विचार-मंथन में नहीं। विचार-मंथन पूरी तरह विषय-केंद्रित तथा स्वतंत्र होना आवश्यक है। उपदेश या प्रवचन से बचना चाहिए। विचार-मंथन के अन्तर्गत न कोई प्रस्ताव पारित हो, न कोई अन्य योजना बने और न अन्य चर्चा ही हो। यदि करना ही हो तो प्रार्थना के बाद कार्यक्रम समाप्त घोषित करके ऐसी योजना या अन्य चर्चा हो सकती है। आजकल समाज-सुधारकों या चरित्र-निर्माण करने वालों की बाढ़-सी आई हुई है। यह प्रवृत्ति ज्ञान-यज्ञ के विपरीत प्रभाव डालती है। ऐसे प्रयत्न को कड़ाई से रोकना होगा। समापन के पूर्व तो ऐसे प्रयत्न बिल्कुल ही न हों। स्वराज्य प्रार्थना इस यज्ञ का मुख्य भाग है। सब लोग विचार-मंथन के बाद समापन के समय श्रद्धापूर्वक स्वराज्य प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना इस प्रकार है:-

हे प्रभो, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं किसी दूसरे को अपनी इच्छानुसार संचालित करने की इच्छा या दूसरों द्वारा संचालित होने की मजबूरी से दूर रह सकूँ, जो लोग ऐसा नहीं कर सकते उन्हें बदलाव हेतु सहमत कर सकूँ और यदि फिर भी ऐसा न हो तो ऐसे विचारों का अहिंसक प्रतिरोध करूँ।

प्रार्थना खड़े होकर करें तो अच्छा है, अन्यथा बैठकर भी हो सकती है। प्रार्थना के बाद यज्ञ समाप्त हो जाता है। यदि संभव हो तो प्रसाद-वितरण भी कर सकते हैं, जो बाध्यकारी नहीं हो।

इस प्रणाली का चौथा भाग है दान-यज्ञ। इसके अंतर्गत प्रत्येक साधक दान की घोषणा करता है। यह घोषणा दैनिक दान की भी हो सकती है और मासिक भी या वार्षिक की भी। यह घोषणा नकद दान की भी हो सकती है और वस्तु के रूप में भी तथा समय-दान के रूप में भी। कोई व्यक्ति कम से कम और अधिक से अधिक की किसी भी रूप में घोषणा कर सकता है। कोई चाहे तो तीनों रूपों में भी कर सकता है और कम रूपों में भी। दान चाहे कभी भी और किसी भी रूप में दिया जाए, किन्तु उसकी घोषणा एक जनवरी को प्रतिवर्ष अवश्य करनी चाहिए। दान के प्राप्त धन, समय या वस्तुएँ स्थानीय ज्ञान-यज्ञ परिवार की व्यवस्था के अंतर्गत उपयोग की जा सकेंगी। केंद्रीय कार्यालय उक्त दान का उपयोग स्थानीय परिवार की सहमति से ही कर सकता है या सदस्यता शुल्क के रूप में कर सकता है, अन्य रूपों में नहीं। इन सामान्य यज्ञों में ज्ञान-यज्ञ परिवार के सदस्य इकट्ठे होकर भी यज्ञ कर सकते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर भी। यात्रा के समय भी यज्ञ किया जा सकता है या लौटने के बाद भी कर सकते हैं। किन्तु माह में एक बार ज्ञान-यज्ञ अवश्य होना चाहिए। सामान्य यज्ञों के अतिरिक्त कुछ विशेष यज्ञ भी किए जाने चाहिए। ऐसे विशेष यज्ञ न्यूनतम तीन दिनों के होने चाहिए। इनमें प्रतिदिन एक सवा घंटे का यज्ञ तथा पाँच-छः घंटे का विचार-मंथन हो। विचार-मंथन दो सत्रों में भी हो सकता है और तीन सत्रों में भी। अन्य सभी विधि पूर्ववत् हैं। ज्ञान-यज्ञ का प्रत्येक संकल्पकर्ता प्रतिवर्ष एक जनवरी को अपने बीते वर्ष के ज्ञान-यज्ञों की संक्षिप्त जानकारी, पिछले वर्ष के दान-यज्ञ की जानकारी और अगले वर्ष के दान-यज्ञ की संभावित योजना को मिलाकर केंद्रीय कार्यालय को स्थानीय कार्यालय के माध्यम से जानकारी देगा। विश्व भर में फैले ज्ञान-यज्ञ परिवार की एकरूपता के लिए एक संस्था है, जिसे ज्ञान-यज्ञ मंडल कह सकते हैं। ज्ञान-यज्ञ मंडल का सदस्य वही हो सकेगा जो न्यूनतम एक सौ रुपये मासिक, एक हजार रुपये वार्षिक या चार हजार रुपये एकमुश्त दान केंद्रीय कार्यालय को देता है। ऐसा सदस्य व्यक्तिगत दान भी दे सकता है और संस्था के रूप में भी। ऐसा दानदाता व्यक्ति या संगठन एक सदस्य ज्ञान-यज्ञ मंडल में शामिल कर सकता है। ज्ञान-यज्ञ का प्रत्यक्ष प्रभाव शून्य दिखता है, किन्तु परोक्ष प्रभाव चमत्कारिक होता है। जैसे प्रातः भ्रमण का कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिखता, किन्तु परोक्ष लाभ बहुत है, वैसा ही इसका भी समझना चाहिए। यज्ञ का मानव-स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। इससे भावनाएँ शुद्ध होती हैं। विचार-मंथन से नीर-क्षीर विवेक-शक्ति प्रबल होती है। स्वराज्य प्रार्थना से आत्मबल मजबूत होता है। दान-यज्ञ से स्थानीय संस्था भी मजबूत होती है और केंद्रीय संस्था भी। यह संस्था स्वयं में किसी के विरुद्ध कुछ नहीं करती, न किसी के विरुद्ध सोचती है, न ही योजना बनाती है, किन्तु सभी प्रकार के विघटनकारी भेदभाव भूलकर माह में एक बार कुछ लोग एक साथ बैठने लगें, यही समाज-विरोधी तत्वों के लिए चिंता का पर्याप्त आधार बनेगा।

ज्ञान-यज्ञ प्रगति समीक्षा

लगभग सत्तर वर्ष पूर्व की अपनी बाल्यावस्था में ही मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि विश्व की और विशेषकर भारतीय समाज-व्यवस्था की वर्तमान समस्याओं का एकमात्र समाधान अनुकरण-पद्धति को त्यागकर विचार-मंथन पद्धति ही है। जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति तब तक स्वयं को गुरु और शिष्य दोनों भूमिकाओं में महसूस करता है, जब तक आपातकालीन परिस्थितियाँ समाप्त न हों। सामान्य स्थितियों में कोई भी व्यक्ति स्वयं को या तो गुरु के रूप में मानता है या शिष्य के रूप में, किन्तु एक साथ स्वयं को दोनों भूमिकाओं में महसूस नहीं कर पाता। वर्तमान परिस्थितियों को आपातकाल मानकर ज्ञान-यज्ञ प्रणाली शुरू की। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रतिमाह एक संक्षिप्त धार्मिक अनुष्ठान करके किसी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषय पर स्वतंत्र विचार-मंथन शुरू हुआ। प्रारंभ में यह

कार्य अकेले ही शुरू हुआ, किन्तु धीरे-धीरे शहर के अन्य लोग जुड़ते गए और यह ज्ञान-यज्ञ पूरे रामानुजगंज शहर में विस्तार से होने लगा। आमतौर पर लोगों को यह कार्य निरर्थक दिखता था, किन्तु लोग तर्क और विश्वास के आधार पर जुड़ते ही चले गए। धीरे-धीरे इसका अप्रत्यक्ष परिणाम दिखने लगा। मेरी स्वयं की बौद्धिक, तार्किक और नैतिक क्षमता का अभूतपूर्व विकास हुआ। विश्वास ऐसा बढ़ा कि सिर्फ सत्रह वर्ष की उम्र में ही शहर के लोगों ने मुझे अपना नगरपालिका अध्यक्ष चुन लिया, किन्तु उम्र की वैधानिक सीमा के कारण आठ वर्ष बाद ही मैं कानूनी रूप से चुनाव लड़कर अध्यक्ष बन सका। त्यागभाव इतना था कि एक ही वर्ष में मैंने निरर्थक मानकर इस पद से इस्तीफा दे दिया। धीरे-धीरे लगातार मेरा तार्किक और नैतिक विकास मजबूत होता रहा, जो आज तक जारी है।

धीरे-धीरे रामानुजगंज शहर में ज्ञान-यज्ञ वालों की एक टीम बनती चली गई। जो व्यक्ति जितना ही अधिक इस प्रणाली में जुड़ा, उतना ही अधिक उसे लाभ मिला। यहाँ तक कि रामानुजगंज शहर की संपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था पर ज्ञान-यज्ञ का प्रभाव पड़ा। ज्ञान-यज्ञ में शामिल परिवारों पर तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ा ही, न शामिल होने वालों पर भी इसका आंशिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि संपूर्ण शहर की समाज-व्यवस्था पर सामूहिक प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा था। जातीय या साम्प्रदायिक टकराव शून्यवत् हो गया। गरीब-अमीर का भेदभाव कम हुआ। गुरुडम भी कम हुआ। सरकारी कर्मचारी, व्यापारी और किसान-मजदूर तक एक साथ बैठने लगे। बड़े-बड़े अपराध-विरोधी संघर्षों में प्रतिष्ठापूर्ण विजय प्राप्त की गई। रामानुजगंज में ज्ञान-यज्ञ की जो पद्धति सत्तर वर्षों से चलती रही, वह आज भी जारी है। रामानुजगंज और रामानुजगंज से बाहर के लोग रामानुजगंज की इस सामाजिक सफलता का श्रेय मुझे देते रहे हैं, किन्तु मैं भी समझता हूँ कि इस सम्पूर्ण सफलता का श्रेय ज्ञान-यज्ञ प्रणाली को है, जिसने मुझे भी इस योग्य बनाया और मेरे परिवार को भी तथा रामानुजगंज के समाज को भी। मैंने कभी न शिक्षा दी, न उपदेश दिया, क्योंकि शिक्षा और उपदेश देने वालों की दुकानें तो गली-गली मिल सकती हैं। इनमें कई लोग अच्छे भी हो सकते हैं और कई लोग ठग भी। दोनों ही प्रकार के लोग साधु-वेश में समाज-सेवक बनकर घूम रहे हैं। खास जरूरत है उस शक्ति के विकास की, जो कालनेमि और हनुमान की पहचान पृथक कर सके। ऐसी पहचान न वेशभूषा से हो सकती है, न पूजा-पाठ से और न ही उनके आचरण से। इसलिए वर्तमान समय को आपातकाल मानकर ऐसी पहचान बनाने के प्रयत्नों को छोड़ दिया जाए और स्वयं अपनी चिंतन-शक्ति का विकास किया जाए। यदि अपनी चिंतन-शक्ति का विकास होगा तो ऐसी पहचान अपने-आप विकसित हो जाएगी। यही एकमात्र मार्ग है, जिसकी सफलता का प्रयोग रामानुजगंज में हो चुका है। मेरी सोच है कि भारतीय समाज की अधिकांश समस्याओं का अप्रत्यक्ष समाधान ज्ञान-यज्ञ से है। किन्तु इसका व्यापक प्रभाव तभी स्पष्ट होगा, जब सम्पूर्ण भारत में यह प्रणाली विकसित हो। रामानुजगंज में प्रारम्भिक परिणाम दिखने में दस-पन्द्रह वर्षों का समय लगा था, किन्तु अब इसका प्रत्यक्ष प्रभाव तीन वर्षों में ही दिख सका है। व्यक्तिगत यज्ञ का प्रभाव यज्ञकर्ता की मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक स्थिति पर पड़ना निश्चित है और यदि सामूहिक यज्ञ हुआ तो उसका लाभ संपूर्ण क्षेत्रीय समाज पर होगा। इसलिए ज्ञान-यज्ञ का विस्तार सम्पूर्ण भारत में तीव्र गति से करना चाहिए।

ज्ञान-यज्ञ क्यों, क्या और कैसे

कुछ सर्वस्वीकृत सिद्धान्त हैं।

1. दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति में भावना और बुद्धि का समिश्रण होता है। किन्तु किन्हीं भी दो व्यक्तियों में बुद्धि और भावना का प्रतिशत समान नहीं होता।

2. प्रत्येक व्यक्ति पर भावना और बुद्धि का बिल्कुल अलग-अलग प्रभाव होता है। भावना व्यक्ति को या तो शराफत की ओर ले जाती है अथवा मूर्खता की ओर। बुद्धि व्यक्ति को या तो ज्ञान की ओर ले जाती है या धूर्तता की ओर।

3. सारी दुनिया में ज्ञान घट रहा है और शिक्षा बढ़ रही है।

4. सारी दुनिया में भौतिक विकास तेज गति से हो रहा है और नैतिक पतन हो रहा है।

5. सम्पूर्ण भारत में हिंसा और जालसाजी के प्रति विश्वास बढ़ रहा है।

6. हर धूर्त लगातार प्रयत्न करता है कि समाज में भावनाओं का विस्तार होता रहे। आम लोग भावना-प्रधान बने रहें।

7. कोई भी व्यक्ति न तो पूरी तरह बुद्धिमान होता है, न ही बुद्धिहीन। प्रत्येक व्यक्ति में भावना या बुद्धि का समिश्रण होता ही है।

8. प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष लाभ पर अधिक विश्वास करता है, परोक्ष लाभ पर कम।

9. हम पूरे विश्व की समीक्षा करें तो भौतिक विकास तेज गति से हो रहा है और लगभग उतनी ही तेज गति से नैतिक पतन भी हो रहा है। भौतिक समस्याओं का समाधान हो रहा है और चारित्रिक पतन की समस्याएँ विस्तार पा रही हैं। भावना और बुद्धि के बीच भी अंतर बढ़ता जा रहा है। शरीफ लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है तो चालाक और धूर्त लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। शरीफ और धूर्त के बीच ध्रुवीकरण हो रहा है और समझदारी निरंतर घट रही है। हर धूर्त यह प्रयत्न कर रहा है कि अन्य लोग समझदार न होकर शरीफ बनें अर्थात भावना-प्रधान हों। विचार-प्रचार बहुत तेज गति से हो रहा है और विचार-मंथन की प्रक्रिया लगातार घट रही है। विपरीत विचारों के लोग अलग-अलग गिरोहों में बँटकर संगठित हो रहे हैं तो विपरीत विचारों के लोग एक साथ बैठकर कभी समस्याओं की न तो चर्चा करते हैं, न समाधान सोचते हैं। यहाँ तक कि पूरे विश्व में विपरीत विचारों के लोग एक-दूसरे के विरुद्ध बिना विचारे इतने सक्रिय हो जाते हैं कि उसका लाभ धूर्त उठाते हैं। हर कार्य में आम नागरिकों की सक्रियता बढ़ती जा रही है, भले ही वह एक-दूसरे के विरुद्ध ही क्यों न हो।

10. यदि हम भारत की समीक्षा करें तो भारत दुनिया की तुलना में कुछ अधिक ही समस्याग्रस्त है। राज्य और समाज के बीच शक्ति-संतुलन मालिक और गुलाम सरीखा हो गया है। सब प्रकार

के धूर्त राज्य के साथ निरंतर जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो सभी शरीफ समाज के साथ इकट्ठे हो रहे हैं। राज्य सुरक्षा और न्याय न देकर भौतिक उन्नति को अधिक महत्व दे रहा है। सुरक्षा और न्याय की परिभाषाएँ बदली जा रही हैं। मानवाधिकार के नाम पर अपराधियों को विशेष सुरक्षा दी जा रही है तो न्याय के नाम पर कमजोरों और मजबूतों के बीच टकराव बढ़ाया जा रहा है। परिणामस्वरूप समाज के शरीफ लोगों द्वारा सुरक्षा और न्याय के लिए अपराधियों की मदद लेना मजबूरी बन गया है। राज्य पूरी शक्ति से वर्ग-समन्वय को समाप्त करके वर्ग-निर्माण, वर्ग-विद्वेष और वर्ग-संघर्ष को प्रोत्साहित कर रहा है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, लिंग, गरीब-अमीर, किसान-मजदूर, शहरी-ग्रामीण आदि के नाम पर समाज में अलग-अलग संगठन बनाकर उनमें वर्ग-विद्वेष का कार्य योजनाबद्ध तरीके से राज्य कर रहा है। शिक्षा और ज्ञान के बीच भी लगातार असंतुलन पैदा किया जा रहा है। शिक्षा को योग्यता का विस्तार न मानकर रोजगार के अवसर के रूप में बदलने का लगातार प्रयास हो रहा है। परिणाम हो रहा है कि शिक्षा और श्रम के बीच असंतुलन बढ़ता जा रहा है। पूरे भारत में हिंसा के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है। अनेक असत्य धारणाएँ सत्य के समान स्थापित हो रही हैं। अच्छे-अच्छे विद्वान नहीं बता पाते कि व्यक्ति और नागरिक में क्या अंतर है, समाज, राष्ट्र और धर्म में कौन अधिक महत्वपूर्ण है, शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है, अपराध, गैर-कानूनी और अनैतिक में क्या अंतर है, कार्यपालिका और विधायिका में क्या अंतर है आदि-आदि। स्पष्ट है कि समस्याएँ दिख रही हैं और समाधान नहीं दिख रहा। समस्याओं का अंबार लगा है। समाधान कहाँ से शुरू करें, यह समझ में नहीं आ रहा।

11. इन सब परिस्थितियों का आकलन करके ही सत्तर वर्ष पूर्व हम कुछ मित्रों ने रामानुजगंज शहर में ज्ञान-यज्ञ की शुरुआत की। रामानुजगंज में सत्तर वर्षों से प्रतिमाह की एक निश्चित तारीख को आधे घंटे की धार्मिक प्रक्रिया से प्रारंभ करके दो घंटे की एक पूर्व-निश्चित विषय पर चर्चा होती है, जो अब तक सफलतापूर्वक जारी है। अब तक करीब पाँच सौ अलग-अलग विषयों पर स्वतंत्र चर्चा हो चुकी है। अन्य नए विषय भी शामिल होते हैं। सोचा गया था कि एक शहर यदि समस्याओं के समाधान में आगे बढ़कर आदर्श प्रस्तुत करेगा तो अपने-आप देश पर उसका प्रभाव पड़ेगा। रामानुजगंज शहर में इस प्रयत्न को अच्छी सफलता भी मिली, किन्तु धीरे-धीरे वे सफलताएँ रामानुजगंज से बाहर विस्तार नहीं कर सकीं, क्योंकि बाहर के लोगों को शराफत से आगे निकालकर समझदारी की ओर ले जाने का हमने कोई प्रयास नहीं किया। बल्कि उसका दुष्परिणाम हुआ कि रामानुजगंज पर भी बाहर की हवाओं का प्रभाव धीरे-धीरे पड़ने लगा। बाहर के सभी शरीफ और धूर्त इकट्ठे होकर रामानुजगंज की व्यवस्था के विरुद्ध सक्रिय हो गए। वहाँ भी साम्प्रदायिकता अथवा जातिवाद के नाम पर संगठन बनने लगे। वहाँ भी राजनीतिक टकराव आंशिक रूप से पैर फैलने लगा। कर्मचारियों और नागरिकों के बीच की एकता कमजोर होने लगी। अब तो ऐसा भी दिख रहा है कि वहाँ धीरे-धीरे अपराधियों का भी प्रवेश शुरू हो जाएगा। चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, दादागिरी से अभी तक तो सुरक्षित है, किन्तु जब सामाजिक एकता ही छिन्न-भिन्न हो जाएगी तो कब तक बचा सकेंगे।

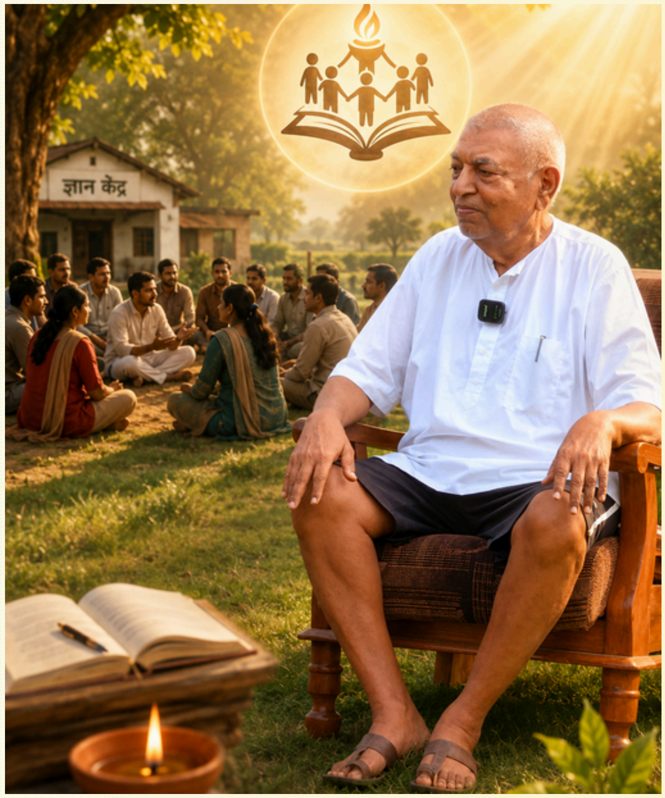

12. स्पष्ट है कि हम प्रयोग में सफल होकर भी असफल हुए, क्योंकि ऐसे वैचारिक प्रयोग किसी एक क्षेत्र से सफल नहीं हो पाते। इसलिए यह सोचा गया कि अब ज्ञान-यज्ञ का विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर हो। साथ ही हम समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न न करें। हम वर्ग-विद्वेष में सक्रिय समूहों का विरोध न करके सामाजिक एकता की एक और अधिक बड़ी लकीर खींचने का प्रयास क्यों न करें। इसका अर्थ हुआ कि हम जाति, धर्म, भाषा आदि के नाम पर बने संगठित समूहों का विरोध न करके एक संयुक्त समूह की ओर बढ़ने का प्रयत्न करें, जैसा रामानुजगंज में प्रारंभ में किया गया था। अर्थात ज्ञान-यज्ञ के नाम से एक प्रकार के लोग एक साथ बैठने की आदत डालें, भले ही वे किसी भी संगठन के सदस्य क्यों न हों। ज्ञान-यज्ञ की विधि बहुत सरल है। पूरा कार्यक्रम यदि तीन घंटे का है तो आधा घंटा यज्ञ अथवा किसी अन्य भावनात्मक धार्मिक कार्यक्रम से श्रद्धापूर्वक शुरुआत करनी चाहिए। यह समय पूरे कार्यक्रम का एक-छठे से अधिक न हो। दो घंटे किसी एक पूर्व-निश्चित विषय पर स्वतंत्र विचार-मंथन होना चाहिए, जिसमें विपरीत विचारों के लोग अपनी बात स्वतंत्रतापूर्वक कहने की हिम्मत कर सकें और दूसरे लोग विपरीत विचारों को सुनने की अपनी सहन-शक्ति जागृत कर सकें। अंतिम आधे घंटे में स्वराज्य प्रार्थना तथा प्रसाद-वितरण आदि का कार्य होता है। आयोजक अपनी श्रद्धा अनुसार धार्मिक क्रिया के लिए स्वतंत्र है। चर्चा का विषय भी चुनने के लिए आयोजक स्वतंत्र है। किन्तु वक्ता की स्वतंत्रता को किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं किया जा सकता, भले ही वह किसी की भावनाओं के विरुद्ध ही क्यों न हो। ज्ञान-यज्ञ के बैनर तले कोई सामूहिक निष्कर्ष निकालना प्रतिबंधित है। सब लोग व्यक्तिगत निष्कर्ष निकालने को स्वतंत्र हैं। ज्ञान-यज्ञ के बैनर तले न कोई भी अन्य सक्रियता हो सकती है, न ही योजना बन सकती है। अर्थात ज्ञान-यज्ञ

परिवार का सदस्य व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य बैनर तले बाढ़ सहायता, राष्ट्रीय संकट में मदद या भूखों को भोजन आदि सेवा-कार्य करने को स्वतंत्र है, किन्तु ज्ञान-यज्ञ के नाम से पूरी तरह प्रतिबंधित है। ज्ञान-यज्ञ की केवल एक ही सक्रियता है कि भिन्न विचारों के लोग एक साथ बैठकर स्वतंत्रतापूर्वक विचार-मंथन कर सकें तथा भावना और बुद्धि के बीच विवेक एवं शराफत और चालाकी के बीच समझदारी का विस्तार हो सके। मैं समझता हूँ कि ज्ञान-यज्ञ परिवार वर्ग-निर्माण, वर्ग-विद्वेष को रोकने का प्रयास छोड़कर वर्ग-मुक्त वर्ग खड़ा करने का जो भी प्रयास करेगा, वह अपने-आप स्वाभाविक रूप से समाधान होगा। समस्याओं का समाधान करने में तो भारत में गली-गली में लोग मिल जाएँगे, किन्तु ज्ञान-यज्ञ का प्रयास यह है कि समस्याओं की प्राकृतिक रूप से अघोषित तरीके से कम होने की प्रणाली विकसित की जाए। ज्ञान-यज्ञ एक ऐसी ही सफल प्रणाली है, जिसमें ज्ञान-यज्ञ परिवार पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हो रहा है।

ज्ञान-यज्ञ परिवार में जुड़ने के लिए एक ही शर्त है कि ऐसे व्यक्ति को कम से कम वर्ष में एक बार ज्ञान-यज्ञ में शामिल होने की प्रतिबद्धता स्वीकार करनी चाहिए। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को हम ज्ञान-यज्ञ परिवार का सदस्य मान रहे हैं। इस सदस्यता में कोई जाति-धर्म का भेद नहीं है। अपराध-निरपराध का भी भेद नहीं है। राष्ट्रीयता का भी भेद नहीं है। प्रत्येक मनुष्य ज्ञान-यज्ञ परिवार का सदस्य बन सकता है। इस सदस्यता का न कोई शुल्क है, न कोई अन्य प्रतिबद्धता। मैं समझता हूँ कि विनोबा जी ने ऐसे कार्य को नाहक मिलन शब्द से स्थापित किया था। मुझे तो पूरा विश्वास है कि ज्ञान-यज्ञ के माध्यम से हम समाज-सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा सकेंगे और समाज-सशक्तिकरण अनेक समस्याओं का समाधान करने में सफल होगा। अपनी सत्तर वर्ष की सक्रियता तथा अनुभव के आधार पर मैं आश्वस्त हूँ कि भारत की सभी समस्याओं के समाधान की शुरुआत ज्ञान-यज्ञ विस्तार के माध्यम से हो सकती है। जब भिन्न विचारों के लोग अपने-अपने संगठनों में रहते हुए भी एक साथ बैठकर चर्चा करने की आदत डालेंगे तो परिणाम अवश्य ही अच्छे होंगे। इसी आधार पर हम ज्ञान-यज्ञ परिवार का राष्ट्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक विस्तार कर रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसका कोई बड़ा लाभ नहीं होगा। हो सकता है ऐसा हो, किन्तु मैं आश्वस्त हूँ कि इस प्रयत्न का कोई नुकसान नहीं होगा। जो लोग अन्य प्रयत्नों में लगे हैं, उनके किसी प्रयत्न में ज्ञान-यज्ञ परिवार जरा भी बाधक नहीं है। वे अपने प्रयत्नों में सफल हों, इससे हमें कोई कठिनाई नहीं। ज्ञान-यज्ञ परिवार नए तरीके से समाज-सशक्तिकरण का कार्य कर रहा है।

ज्ञान-यज्ञ मीमांसा

जब से यह सृष्टि बनी है तभी से दो प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष चला है— (1) दैवी प्रवृत्ति (2) आसुरी प्रवृत्ति। दोनों में से कोई भी प्रवृत्ति कभी समाप्त नहीं होती, किन्तु समय-समय पर ये मजबूत या कमजोर अवश्य होती रहती हैं। जब दैवी प्रवृत्तियाँ मजबूत होती हैं तब राक्षसी प्रवृत्तियों के लोग जंगलों में पलायन कर जाते हैं या समाज में ही दब जाया करते हैं। दूसरी ओर जब विपरीत होता है तब दैवी प्रवृत्ति के लोग गुलाम हो जाते हैं या मजबूर हो जाते हैं। यह टकराव सदा चलता रहा है और चलता रहेगा, किन्तु समय-समय पर इस टकराव का शीर्षक बदलता रहा है। कभी इस टकराव को देवासुर संग्राम का नाम दिया गया तो कभी मानव-दानव टकराव का। आज हम इस टकराव को सामाजिक-समाज-विरोधी (Social Anti Social) के बीच संघर्ष के रूप में देखते हैं। नाम भले ही बदल जाए, किन्तु अर्थ वही है जो देवासुर संग्राम का था।

दैवी प्रवृत्तियों की आसुरी प्रवृत्तियों से सुरक्षा के लिए समाज में एक अलग सेल होता है, जिसे राज्य कहते हैं। सामान्य काल में, जब आसुरी प्रवृत्तियाँ दबी रहती हैं, तब राज्य सुरक्षा के साथ-साथ कुछ अन्य सामाजिक कार्य भी करने लगता है, किन्तु जब समाज की सुरक्षा में समाज-विरोधी तत्वों की ओर से चुनौती खड़ी हो जाए, तब राज्य स्वयं को सुरक्षा तक सीमित कर लेता है और ऋषि-मुनि आश्रम या सामाजिक संस्थाएँ चरित्र-निर्माण, सामाजिक उत्थान आदि का कार्य करते हैं। किन्तु आपात स्थिति में, जब समाज-विरोधी तत्व राज्य से भी न दबें या वे राज्य के साथ ही मिल जाएँ, तब ऋषि-मुनि, आचार्य तथा अन्य सामाजिक

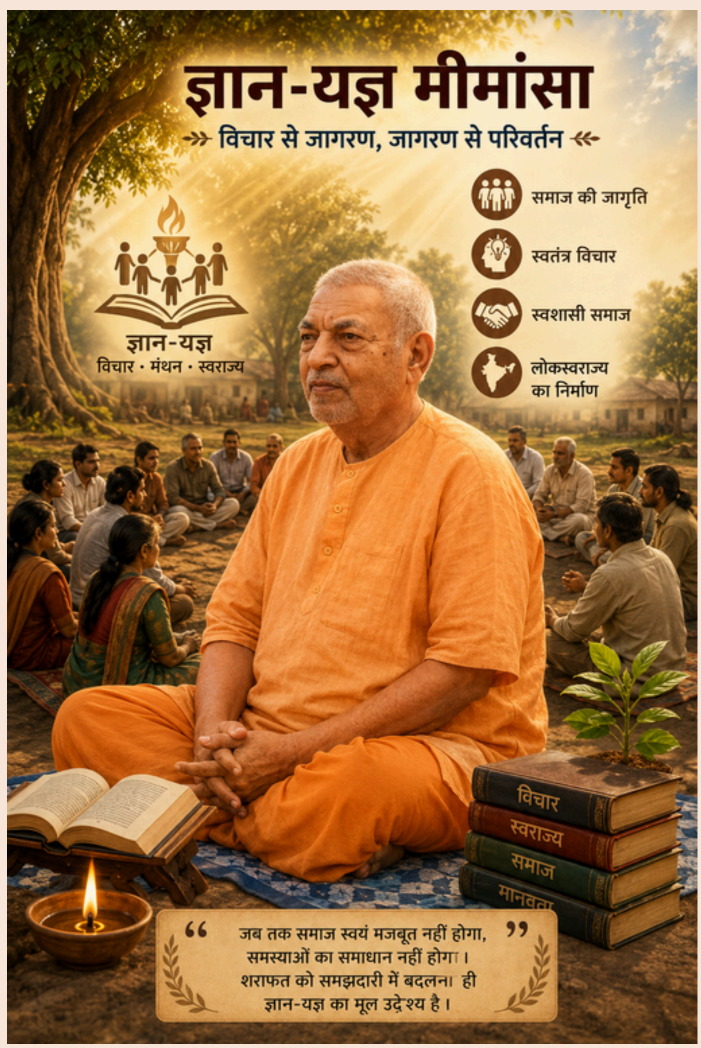

संस्थाएँ चरित्र-निर्माण, समाज-उत्थान की दिशा छोड़कर या रोककर समाज-विरोधी तत्वों पर नियंत्रण की योजना में सक्रिय हो जाती हैं। कभी-कभी तो महिलाओं तक को ऐसे संघर्ष का नेतृत्व करना पड़ा। भारतीय इतिहास ऐसे विशेष उदाहरणों से भरा पड़ा है, जब पुरुष-शक्ति ने भी हार मान ली और देवियों ने मोर्चा संभाला। यदि हम ऐसे इतिहास को छोड़ भी दें, तो रामायण और महाभारत के संघर्ष तो हमारे सामने प्रत्यक्ष ही हैं। ऐसे संकट-काल में समाज की सारी प्राथमिकताएँ भी बदल जाया करती हैं और परिभाषाएँ भी। उस समय धर्म की भी परिभाषा बदल जाती है और सत्य की भी। ऐसे समय में आसुरी शक्तियों पर विजय ही एकमात्र लक्ष्य हो जाता है। रामायण काल में जब राम जंगल में जाते हैं, तो तत्कालीन ऋषि-मुनि और आश्रम राम को शस्त्रास्त्र भी देते हैं और चलाने की ट्रेनिंग भी। स्पष्ट है कि ऐसे आपत्तिकाल में आश्रम भी अपनी प्राथमिकताएँ बदलकर चरित्र-निर्माण से सुरक्षा की ओर सरक जाते थे। जब युद्ध शुरू हुआ, तब राम ने मेघनाद के यज्ञ के विध्वंस का आदेश देकर यह स्थापित किया कि आपत्तिकाल में यज्ञ से अधिक यज्ञ के परिणाम का महत्व होता है। यदि यज्ञ से दैवी पक्ष मजबूत होगा, तो ऐसे यज्ञ की सुरक्षा होगी और आसुरी पक्ष मजबूत होगा, तो यज्ञ का विध्वंस भी होगा। महाभारत काल में कृष्ण ने युधिष्ठिर को असत्य बोलने हेतु प्रेरित किया क्योंकि उस समय वह युद्ध मानवता की सुरक्षा का प्रतीक बन गया था। युद्धभूमि में कृष्ण ने अर्जुन सहित पाण्डवों को जो ज्ञान दिया, वह ज्ञान ही युद्ध का निर्णायक आधार बना। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान-यज्ञ की विशेष महत्ता समझाई। पूरी गीता ज्ञान-यज्ञ के महत्व को स्थापित करती है। अष्टावक्र महागीता तो सम्पूर्ण रूप से ज्ञान-यज्ञ की महत्ता से ही भरी पड़ी है। स्वयं सिद्ध है कि चाहे राम हों या कृष्ण, सबने ऐसी विशेष स्थिति में परम्परागत मान्यताओं से हटकर ज्ञान का सहारा लिया क्योंकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में ज्ञान ही एकमात्र सहायक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में यज्ञ की विशेष महिमा रही है, जो आज भी किसी-न-किसी रूप में स्थापित है। सामान्यतया यज्ञ पर्यावरण-शुद्धि के लिए ही महत्वपूर्ण होते हैं, यह बात प्रमाणित है। किन्तु विशेष परिस्थितियों में विशेष यज्ञ भी होते रहे हैं, यह यथार्थ भी हमारा इतिहास बताता रहा है। ऐसे विशेष यज्ञों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के वैज्ञानिक प्रयत्न भी निरन्तर जारी हैं और ये प्रयत्न सफलता की ओर बढ़ भी रहे हैं। ज्ञान-यज्ञ एक ऐसा ही विशेष यज्ञ है, जो विशेष परिस्थितियों में विशेष विधि से होता है। जब समाज में सामान्य स्थिति होती है, तब समाज मुख्य रूप से भावना-प्रधान होता है तथा ऋषि-मुनियों, महापुरुषों, विद्वानों के मार्गदर्शन में चलता रहता है। ऐसे समय में समाज को ज्ञान-यज्ञ की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ज्ञान-पुंज समाज का मार्गदर्शन करते रहते हैं। किन्तु जब ऐसे ऋषि-मुनियों, विद्वानों, महापुरुषों का स्थान व्यवसायी प्रवृत्ति के लोग ले लें, तब समाज दुविधा में फँस जाता है और जब ऐसा स्थान धूर्तों या स्वार्थी राजनेताओं के पास केन्द्रित हो जाए, तब तो आपातकालीन खतरा ही उत्पन्न हो जाता है। ऐसे धूर्त लोग भावनाओं को शोषण का माध्यम बनाना शुरू कर देते हैं और समाज इन पेशेवर या धूर्त धर्मात्माओं के चक्रव्यूह में लगातार अन्दर तक फँसता चला जाता है। ऐसे ही संकटकालीन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का सबसे सहज, सरल मार्ग है— **"ज्ञान-यज्ञ"।**

हम भारत की वर्तमान स्थिति पर विचार करें। राज्य-व्यवस्था ने समाज-व्यवस्था को पूरी तरह निगल लिया है। परिवार-व्यवस्था को लगातार तोड़ा जा रहा है। ग्राम-गणराज्य व्यवस्था को समाप्त करके एक राज्याश्रित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की जा रही है, जो एक ओर तो शासन की गुलाम है, दूसरी ओर गाँव तक में राजनीतिक गुटबन्दी के विष-बीज बो रही है। समाज को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, लिंग, उत्पादक, उपभोक्ता और गरीब-अमीर आदि के अनेक आधारों पर विभाजित करके वर्ग-निर्माण के सुनियोजित प्रयत्न जारी हैं, जो धीरे-धीरे वर्ग-विद्वेष की दिशा में बढ़ रहे हैं। हर मामले में निष्कर्ष निकालने और कार्यान्वित कराने का सारा दायित्व सरकार ने इस तरह ले लिया है कि समाज के आम लोगों की चिंतन-शक्ति अवरुद्ध हो जाए और वह अधिक-से-अधिक राजनीति और राजनीतिज्ञों पर निर्भर होता चला जाए। राज्य का आचरण जब संदेहास्पद होता था, तब समाज धर्म-प्रमुखों की ओर देखना शुरू करता था, किन्तु वर्तमान समय में धर्म-प्रमुखों ने भी निराश ही किया है। धर्म-प्रमुख समाज की राज्य से सुरक्षा करने के स्थान पर तीन वर्गों में बँट गए। (1) धर्म के नाम पर सत्ता-संघर्ष में शामिल हो गए। (2) धर्म के नाम पर व्यवसाय खड़ा कर लिए। (3) सामाजिक सुरक्षा को असंभव प्रयत्न मानकर समाज को चरित्र-निर्माण, आदर्श परिवार-व्यवस्था, नशा-मुक्ति, व्यायाम आदि के उपदेश देने लगे। तीसरे प्रकार के लोगों के समक्ष संघर्ष के अभाव की मजबूरी है, अन्यथा वे संघर्ष की दिशा में शामिल भी हो सकते हैं, किन्तु शेष दो प्रकार के संगठनों से तो कोई उम्मीद ही व्यर्थ है।

ऐसे ही संकट-काल के लक्षण हैं कि समाज में ग्यारह समस्याएँ (1) चोरी-डकैती (2) बलात्कार (3) मिलावट, कमतौल (4) जालसाजी (5) हिंसा, आतंक (6) भ्रष्टाचार (7) चरित्र-पतन (8) साम्प्रदायिकता (9) जातीय कटुता (10) आर्थिक असमानता (11) श्रम-शोषण लगातार बढ़ती रहती हैं। भारत में सभी समस्याएँ लगातार बढ़ रही हैं और किसी भी राजनीतिक दल के या सामाजिक, धार्मिक संगठन के पास इन ग्यारह में से किसी एक भी समस्या के समाधान की कोई योजना नहीं है। भारतीय राजनीति का स्वयं का ही चरित्र लगातार गिरता जा रहा है। राजनीति ने भारत में लोकतंत्र की आदर्श परिभाषा लोक-नियंत्रित तंत्र को चुपचाप और संवैधानिक तरीके से बदलकर लोक-नियुक्त तंत्र कर दिया और इस तरह उसने वोट देने का एक अधिकार देकर समाज-व्यवस्था के सारे अधिकार अपने पास समेट लिए। ऊपर से यह भी कि समाज में बढ़ रही ग्यारह समस्याओं का सारा दोष भी समाज पर ही डाला जा रहा है और हमारी धार्मिक-सामाजिक संस्थाएँ भी इन कार्यों के लिए समाज को ही दोषी मानने की भूल करती रहती हैं। भारत की संवैधानिक, राजनीतिक व्यवस्था असंवैधानिक, आपराधिक व्यवस्था से समाज को सुरक्षा देने में असफल हो गई है और हमारे धार्मिक प्रमुख भी या तो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं या किंकर्तव्यविमूढ़ होकर कुछ-न-कुछ समाज-सुधार के कार्य में लगे हैं। समाज के समक्ष ऐसी ही विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है, तब दीर्घकालिक उपाय करने पड़ते हैं और ऐसे ही दीर्घकालिक

उपाय का आधार है "ज्ञान-यज्ञ"। सामान्य रूप से समाज भावना-प्रधान और महापुरुषों का अनुकरण करने वाला होता है, किन्तु जब महापुरुषों के स्थान पर धूर्त या निराश लोग बैठ जाएँ, तब समाज यह पहचान नहीं पाता कि वह किसका अनुकरण करे। ऐसी विशेष स्थिति में अनुकरण-प्रणाली से हटकर स्वयं निष्कर्ष निकालने की प्रणाली को जागृत करते हैं। ये यज्ञ बड़ी मात्रा में समाज में विभिन्न विषयों पर बहस कराते हैं और ऐसी स्वतंत्र बहस के माध्यम से समाज में प्रचलित असत्य धारणाओं या प्रचार के समक्ष चुनौती खड़ी करते हैं। ये यज्ञ समाज को आपत्तिकाल का आभास कराते हैं और प्रेरित करते हैं कि समाधान का मार्ग दूसरों के बताए मार्ग से न निकलकर स्वयं के प्रयत्नों से ही निकलेगा। ऐसे यज्ञों का चमत्कारिक प्रभाव होता है। यह प्रभाव प्रत्यक्ष नहीं दिखता, न ही ऐसे यज्ञों से कोई टकराव की स्थिति आती है, किन्तु इन यज्ञों का प्रच्छन्न धूर्तता पर मारक प्रभाव अवश्य होता है। इन यज्ञों का यह भी प्रभाव होता है कि इनके माध्यम से पारिवारिक, सामाजिक एकता भी मजबूत से मजबूत हो जाती है। ज्ञान-यज्ञ करने वाले के मन में स्वयं ही एक आत्मविश्वास जगता है क्योंकि अब वह दूसरों के मार्गदर्शन का पिछलग्गू मात्र न होकर स्वयं भी निर्णय करने की शक्ति विकसित कर रहा है। परिवार की पारिवारिक व्यवस्था पर तो ज्ञान-यज्ञ का तत्काल और जादुई प्रभाव होता ही है, किन्तु कालान्तर में धीरे-धीरे समाज पर भी यह प्रभाव दिखने लगता है।

प्राचीन काल में भी महापुरुषों ने ज्ञान-यज्ञ का सहारा लिया। विश्वामित्र का यज्ञ कोई सामान्य यज्ञ न होकर विशेष यज्ञ था, तभी तो राक्षस उसमें बाधा डालते थे, अन्यथा पर्यावरण-सुरक्षा यज्ञ से वे इतने चिंतित क्यों होते। राम और कृष्ण ने भी ऐसे समय में विशेष यज्ञों का सहारा लिया। बजरंग मुनि जी ने पिछले सत्तर वर्षों से ज्ञान-यज्ञ के चमत्कारिक प्रभाव का अनुभव किया है। ज्ञान-यज्ञ का परिवार से समाज तक पर अप्रत्यक्ष, दूरगामी और निश्चित प्रभाव होता है, यह स्वयंसिद्ध है। किन्तु ज्ञान-यज्ञ स्वयं में समस्याओं का समाधान न होकर समाधान-सहायक है तथा समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगा। ज्ञान-यज्ञ आपको दूसरों का अनुकरण करने की अपेक्षा स्वयं निर्णय करने की दिशा में प्रेरित करेगा तथा आपकी नीर-क्षीर विवेक-शक्ति को जागृत करेगा। ज्ञान-यज्ञ की यह खास विशेषता है कि यह आपको दूसरों द्वारा ठगे जाने से बचाएगा और आपकी पारिवारिक, सामाजिक सोच को समृद्ध करेगा। सबसे खास बात यह है कि ज्ञान-यज्ञ का प्रभाव मस्तिष्क पर होता है। सामान्य रूप से मस्तिष्क और हृदय की सक्रियता का संतुलन होना चाहिए, जो वर्तमान समय में पूरी तरह असंतुलित है। जैसे वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाने से शरीर अस्वस्थ हो जाता है, वैसे ही भावना और बुद्धि का भी संतुलन बिगड़ जाने का हानिकारक प्रभाव होता है। धूर्त लोग लगातार स्वयं तो बुद्धि-प्रधानता की ओर सक्रिय रहते हैं, किन्तु समाज को प्रयत्नपूर्वक भावना-प्रधान बनाने की दिशा में लगाए रखते हैं। ज्ञान-यज्ञ इस असंतुलन को दूर करेगा। वर्तमान समय में परिवार-व्यवस्था तथा समाज को कमजोर करने और तोड़ने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसे इसी तरह देखते रहना हमारी कायरता का प्रतीक है। इस षड्यंत्र को तोड़ने में ज्ञान-यज्ञ की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका संभव है। हम आपका आह्वान करते हैं कि आप ज्ञान-यज्ञ अभियान से जुड़ें और इस अभियान को शक्ति प्रदान करें।

धर्म और सम्प्रदाय

किसी अन्य के हित में किए जाने वाले निःस्वार्थ कार्य को धर्म कहते हैं।
धर्म के नाम पर संगठित समूह को सम्प्रदाय कहते हैं।

धर्म	**सम्प्रदाय**
1. न्याय-प्रधान होता है।	1. अपनत्व-प्रधान होता है।
2. कर्तव्य-प्रधान होता है।	2. अधिकार-प्रधान होता है।
3. देश, काल, परिस्थिति अनुसार मौलिक संशोधन संभव हैं।	3.मौलिक संशोधन प्रतिबंधित है।
4. न कोई व्यक्ति प्रारंभ करता है, न ही कोई व्यक्ति या पुस्तक स्वतः प्रमाण होती है।	4. किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभ होकर उस व्यक्ति के विचारों की पुस्तक को स्वतः प्रमाण माना जाता है।
5.गुण-प्रधान क्रियाओं से पहचान बनती है, संख्या-बल का कोई महत्व नहीं होता।	5.पहचान-प्रधान क्रियाओं से गुणों का आभास होता है। संख्या-बल की छीना-झपटी होती है।
6. अनुशासन आवश्यक नहीं है।	6. अनुशासन अनिवार्य है।
7.विचार-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है।	7.विचारों की स्वतंत्रता संभव नहीं।
8. विचारधारा व्यापक होती है।	8. विचारधारा संकीर्ण होती है।
9. समाज को सर्वोच्च मानता है।	9.संगठन को सर्वोच्च मानता है।
10. किसी विशेष पूजा-पद्धति से जुड़ा होना आवश्यक नहीं।	10.किसी विशेष पूजा-पद्धति से जुड़ना आवश्यक है।
आस्था पर विज्ञान भारी होता है।	विज्ञान पर आस्था भारी होती है।

लोकव्यवस्था जागरण अभियान

समाज की स्वशासी शक्तियों के जागरण, लोकशक्ति के संगठन तथा राज्य-निर्भरता में कमी का राष्ट्रीय अभियान

भारतीय चिंतन में समाज को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। व्यक्ति समाज में जन्म लेता है, परिवार में संस्कार प्राप्त करता है और समाज के सहयोग से अपना विकास करता है। राज्य का निर्माण भी समाज ही करता है। इसलिए राज्य समाज का स्वामी नहीं, बल्कि उसका सेवक, संरक्षक और व्यवस्थापक है। उसका दायित्व समाज की स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय की रक्षा करना है, न कि समाज के प्रत्येक कार्य का संचालन अपने हाथों में लेना।

समय के साथ यह संतुलन धीरे-धीरे बदलता गया। आधुनिक शासन व्यवस्थाओं में राज्य की शक्तियाँ निरंतर बढ़ती चली गईं, जबकि समाज की स्वशासी क्षमता क्रमशः कमजोर होती गई। आज शिक्षा, सामाजिक सहयोग, स्थानीय निर्णय, सामुदायिक उत्तरदायित्व और अनेक ऐसे क्षेत्र, जिन्हें कभी समाज स्वयं संचालित करता था, राज्य पर अधिकाधिक निर्भर होते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप व्यक्ति, परिवार और समाज अपनी अनेक स्वाभाविक जिम्मेदारियों से दूर होते गए तथा शासन पर उनकी निर्भरता बढ़ती चली गई। समस्या राज्य के अस्तित्व में नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब समाज अपनी स्वाभाविक शक्ति खो देता है। राज्य जितना आवश्यक है, उतना ही सीमित भी होना चाहिए। समाज जितना जागृत, संगठित और उत्तरदायी होगा, राज्य उतना ही संतुलित, उत्तरदायी और लोकहितकारी बन सकेगा। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए लोक व्यवस्था जागरण अभियान का सूत्रपात किया गया है। यह किसी सरकार के विरोध का अभियान नहीं है, न किसी राजनीतिक दल का विस्तार और न ही सत्ता प्राप्ति का प्रयास। यह समाज की स्वशासी शक्तियों के जागरण, लोकशक्ति के संगठन और राज्य पर अनावश्यक निर्भरता को कम करने का रचनात्मक अभियान है। इसका उद्देश्य ऐसा सामाजिक वातावरण तैयार करना है जिसमें समाज अपने स्वाभाविक दायित्वों का निर्वहन स्वयं करने में सक्षम बने और राज्य अपनी वास्तविक भूमिका तक सीमित रहकर अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।

इस अभियान का प्रेरक लक्ष्य है—

"तंत्र मुक्त संविधान, युक्त समाज व्यवस्था।"

इसका आशय तंत्रविहीन समाज नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था से है जिसमें संविधान तंत्र का उपकरण न बनकर वास्तविक लोकसहमति का प्रतिनिधित्व करे और समाज इतना संगठित एवं उत्तरदायी हो कि वह अपने अधिकांश सामाजिक दायित्व स्वयं निभा सके।

अभियान के तीन प्रमुख उद्देश्य

1. समाज की स्वशासी शक्तियों का जागरण

लोक व्यवस्था जागरण अभियान का पहला उद्देश्य समाज की स्वशासी शक्तियों को पुनः जागृत करना है। समाज की स्वशासी शक्ति से आशय समाज की उस सामूहिक क्षमता से है जिसके आधार पर वह अपने सामाजिक, नैतिक और सामुदायिक दायित्वों का निर्वहन स्वयं कर सके। जब परिवार उत्तरदायी होते हैं, स्थानीय समुदाय सक्रिय रहते हैं, सामाजिक संस्थाएँ जीवंत होती हैं और नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हैं, तब समाज को प्रत्येक छोटे-बड़े कार्य के लिए राज्य की ओर नहीं देखना पड़ता। आज लोकतंत्र का स्वरूप मुख्यतः मतदान तक सीमित होकर रह गया है। नागरिक प्रतिनिधियों का चुनाव तो करते हैं, किंतु शासन और निर्णय प्रक्रिया में उनकी निरंतर सहभागिता सीमित रहती है। लोक व्यवस्था जागरण अभियान लोकतंत्र को केवल "लोक नियुक्त तंत्र" तक सीमित न रखकर "लोक उत्तरदायी एवं लोक नियंत्रित

तंत्र" की दिशा में विकसित करने का पक्षधर है। इसका उद्देश्य राज्य की शक्तियों को अनियंत्रित रूप से बढ़ाना नहीं, बल्कि समाज की क्षमताओं को विकसित करना है, ताकि लोकतंत्र केवल शासन व्यवस्था न रहकर सामाजिक जीवन की सक्रिय प्रक्रिया बन सके।

2. लोकशक्ति का संगठन

किसी भी समाज की वास्तविक शक्ति उसकी संगठित लोकशक्ति होती है। संगठित समाज ही उत्तरदायी नेतृत्व का निर्माण करता है, न्यायपूर्ण व्यवस्था का संरक्षण करता है और लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखता है। लोक व्यवस्था जागरण अभियान का उद्देश्य परिवार, ग्रामसभा, मोहल्ला सभा, नगर, जिला तथा अन्य स्थानीय सामाजिक संस्थाओं को अधिक सक्रिय, उत्तरदायी और सहभागी बनाना है। समाज की समस्याओं पर समाज स्वयं विचार करे, स्थानीय स्तर पर संवाद की संस्कृति विकसित हो और नागरिक निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएँ, यही लोकशक्ति के संगठन का आधार है। लोकशक्ति का संगठन किसी एक संगठन का विस्तार नहीं, बल्कि समाज की विविध शक्तियों के समन्वय का प्रयास है। इसका उद्देश्य मतभेदों को समाप्त करना नहीं, बल्कि संवाद के माध्यम से समाज को अधिक उत्तरदायी और सहयोगी बनाना है।

3. राज्य-निर्भरता में कमी

समय के साथ समाज के अनेक स्वाभाविक कार्य राज्य के अधीन चले गए। इससे जहाँ एक ओर राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ा, वहीं दूसरी ओर समाज की आत्मनिर्भरता घटती गई। लोक व्यवस्था जागरण अभियान राज्य-विरोध का नहीं, बल्कि राज्य और समाज के बीच संतुलन स्थापित करने का अभियान है। न्याय, सुरक्षा, विधि-व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक संरक्षण जैसे विषय राज्य के दायित्व हैं। किंतु सामाजिक सहयोग, नैतिक विकास, पारिवारिक संस्कार, सामुदायिक सहभागिता और अनेक रचनात्मक कार्य समाज स्वयं अधिक प्रभावी ढंग से कर सकता है। राज्य पर अनावश्यक निर्भरता कम करने का अर्थ राज्य को कमजोर करना नहीं, बल्कि समाज को अधिक सक्षम बनाना है। जब समाज अपने दायित्वों का निर्वहन स्वयं करने लगता है, तब राज्य भी अपने मूल दायित्वों पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान दे सकता है। यही स्वस्थ लोकतंत्र और वास्तविक विकेंद्रीकरण का आधार है।

लोकस्वराज्य की दिशा

लोक व्यवस्था जागरण अभियान ऐसे सहभागी लोकतंत्र की स्थापना का पक्षधर है जिसमें अधिकारों और उत्तरदायित्वों का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो। व्यक्ति से परिवार, परिवार से ग्रामसभा, ग्रामसभा से व्यापक सामाजिक संस्थाओं और वहाँ से राज्य तक उत्तरदायित्व की एक सशक्त श्रृंखला विकसित हो। लोकस्वराज्य का अर्थ राज्यविहीन व्यवस्था नहीं, बल्कि समाज और राज्य के बीच संतुलित संबंध है। इसमें समाज अपने स्वाभाविक दायित्वों का निर्वहन करता है और राज्य उन क्षेत्रों तक सीमित रहता है जहाँ उसकी आवश्यकता वास्तव में है। यही व्यवस्था समाज की स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व और सहभागिता को सबसे अधिक सुदृढ़ बनाती है।

हमारा संकल्प

हम मानते हैं कि सशक्त समाज ही सशक्त राष्ट्र का आधार है। जब व्यक्ति उत्तरदायी होगा, परिवार सुदृढ़ होंगे, स्थानीय समाज संगठित होगा और लोकशक्ति जागृत होगी, तभी राज्य भी अधिक उत्तरदायी, न्यायपूर्ण और लोकहितकारी बन सकेगा। लोक व्यवस्था जागरण अभियान संघर्ष का नहीं, जागरण का अभियान है; टकराव का नहीं, संवाद का अभियान है; सत्ता के केंद्रीकरण का नहीं, लोकशक्ति के सशक्तिकरण का अभियान है। हमारा विश्वास है कि समाज की स्वशासी शक्तियों के जागरण के बिना न लोकतंत्र पूर्ण हो सकता है और न ही व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए देशभर में ज्ञान केंद्र योजना के माध्यम से अध्ययन, संवाद, विचार-मंथन और सामाजिक जागरण का एक व्यापक अभियान संचालित किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक गाँव, कस्बे और नगर में समाज स्वयं अपने भविष्य के निर्माण का सहभागी बन सके।

ज्ञान केंद्र योजना

समाज की स्वशासी शक्तियों के जागरण का माध्यम

मनुष्य का जीवन केवल शासन के सहारे नहीं चलता। उसका जन्म परिवार में होता है, उसका विकास समाज में होता है और उसका व्यक्तित्व स्वतंत्र विचार, अनुभव तथा सहजीवन के माध्यम से निर्मित होता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके शासन तंत्र में नहीं, बल्कि उसके जागृत समाज में निहित होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन समाजों ने अपने भीतर की संगठन शक्ति, विचार शक्ति और आत्मनियमन की क्षमता को सुरक्षित रखा, वे अनेक कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहे। दूसरी ओर, जिन समाजों ने अपने प्रत्येक प्रश्न का समाधान केवल राज्य से अपेक्षित किया, उनकी सामाजिक शक्ति धीरे-धीरे क्षीण होती चली गई। परिणामस्वरूप समाज का प्रत्येक कार्यशासन पर निर्भर होता गया और समाज स्वयं अपनी समस्याओं के समाधान की क्षमता खोने लगा। आज भारत सहित विश्व के अनेक देशों में यही स्थिति दिखाई देती है। परिवार से लेकर शिक्षा, सामाजिक विवादों से लेकर नैतिक प्रश्नों तक, लगभग प्रत्येक विषय में समाज स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा शासन की ओर देखने लगा है। समाज की स्वाभाविक स्वशासी शक्तियाँ कमजोर हुई हैं और राज्य की भूमिका निरंतर विस्तृत होती चली गई है। यह स्थिति किसी स्वस्थ समाज का लक्षण नहीं मानी जा सकती। लोक व्यवस्था जागरण अभियान इसी चुनौती के समाधान का एक रचनात्मक प्रयास है। यह किसी सरकार के विरोध का अभियान नहीं है, न किसी राजनीतिक दल के समर्थन का। यह समाज की उन स्वाभाविक शक्तियों को पुनः जागृत करने का अभियान है, जिनके आधार पर समाज स्वयं अपने जीवन का संचालन करने में सक्षम बनता है। इसका उद्देश्य राज्य की आवश्यकता को समाप्त करना नहीं, बल्कि समाज को इतना सक्षम बनाना है कि राज्य पर उसकी अनावश्यक निर्भरता निरंतर कम होती जाए।

इसी उद्देश्य को आदरणीय बजरंग मुनि जी ने अत्यंत सारगर्भित शब्दों में व्यक्त किया है—

"तंत्र मुक्त संविधान, युक्त समाज व्यवस्था।"

यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का एक व्यापक दर्शन है। इसका अभिप्राय यह है कि संविधान तंत्र के

नियंत्रण से मुक्त होकर वास्तविक लोकसहमति का प्रतिनिधि बने और समाज इतना संगठित, उत्तरदायी तथा स्वशासी बने कि वह अपने अधिकांश दायित्व स्वयं निभाने में समर्थ हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति केवल कानून बनाने या सरकार बदलने से संभव नहीं है। इसके लिए समाज में वैचारिक जागरण, सामाजिक संगठन और संवैधानिक चेतना, तीनों का समानांतर विकास आवश्यक है। व्यवस्था परिवर्तन का यही व्यापक दृष्टिकोण लोक व्यवस्था जागरण अभियान का आधार है। किन्तु कोई भी विचार तभी समाज में स्थायी परिवर्तन ला सकता है, जब उसके अध्ययन, संवाद, परीक्षण और व्यवहार का एक सतत माध्यम उपलब्ध हो। यदि विचार केवल पुस्तकों तक सीमित रह जाएँ या कुछ व्यक्तियों के भाषणों तक सिमट जाएँ, तो उनका प्रभाव भी सीमित रह जाता है। समाज में परिवर्तन तब आता है, जब विचार समाज के बीच पहुँचते हैं, उन पर खुले मन से चर्चा होती है, मतभेदों का सम्मान करते हुए सत्य की खोज की जाती है और स्थानीय समाज स्वयं परिवर्तन की प्रक्रिया का सहभागी बनता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ज्ञान केंद्र योजना का निर्माण किया गया है। ज्ञान केंद्र केवल एक भवन, पुस्तकालय या बैठक का नाम नहीं है। यह अध्ययन, संवाद, विचार-मंथन, सामाजिक सहयोग और स्वशासी समाज के निर्माण का स्थानीय केंद्र है। इसका उद्देश्य किसी विचार को थोपना नहीं, बल्कि समाज में स्वतंत्र चिंतन, निरंतर अध्ययन और रचनात्मक संवाद की ऐसी परंपरा विकसित करना है, जिसके आधार पर समाज स्वयं अपने भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सके। सरल शब्दों में कहें तो ज्ञान केंद्र योजना भारतीय समाज के मानसपटल पर धुंधली पड़ चुकी चौपाल की परंपरा को आधुनिक, वैचारिक और सुव्यवस्थित स्वरूप में पुनः स्थापित करने का राष्ट्रीय प्रयास है।

ज्ञान केंद्र क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है?

ज्ञान केंद्र कोई नया संगठन खड़ा करने की योजना नहीं है। यह समाज की उस स्वाभाविक परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, जिसमें अध्ययन, संवाद, विचार-मंथन और सामाजिक सहभागिता के माध्यम से समाज स्वयं अपने जीवन को दिशा देता था। भारतीय समाज में कभी चौपाल, बैठक, पाठशाला, गुरुकुल, धर्मसभा, शास्त्रार्थ और लोकचर्चा जैसी अनेक परंपराएँ थीं। इनका उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं था, बल्कि समाज के भीतर विचारों का सतत प्रवाह बनाए रखना भी था। विभिन्न मतों के लोग मिलते थे, प्रश्न पूछते थे, तर्क प्रस्तुत करते थे, अनुभव साझा करते थे और समाज सामूहिक रूप से सीखता था। इसी प्रक्रिया से सामाजिक चेतना विकसित होती थी और समाज अपनी समस्याओं का समाधान भी खोज लेता था। समय के साथ यह परंपरा कमजोर होती चली गई। संवाद का स्थान सूचना ने ले लिया, अध्ययन का स्थान प्रतिक्रियाओं ने और विचार-मंथन का स्थान वैचारिक आग्रहों ने। परिणामस्वरूप समाज का बौद्धिक जीवन सीमित होता गया। आज अधिकांश लोग विचारों का निर्माण स्वयं नहीं करते, बल्कि तैयार विचारों को स्वीकार या अस्वीकार करने तक सीमित हो जाते हैं। इससे समाज की स्वतंत्र वैचारिक क्षमता भी प्रभावित होती है। ज्ञान केंद्र योजना इसी कमी को दूर करने का प्रयास है। इसका उद्देश्य समाज में ऐसे स्थानीय केंद्र स्थापित करना है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भय, पूर्वाग्रह या दबाव के अध्ययन कर सके, प्रश्न पूछ सके, अपने विचार रख सके और दूसरों के विचारों को भी समझ सके। यहाँ किसी विचारधारा की विजय नहीं, बल्कि सत्य की खोज का वातावरण निर्मित किया जाता है। ज्ञान केंद्र का उद्देश्य लोगों को एक जैसा सोचने के लिए तैयार करना नहीं है। उसका उद्देश्य लोगों को सोचने योग्य बनाना है। जब समाज स्वयं विचार करना सीखता है, तभी वह अपने जीवन, परिवार, समाज और व्यवस्था के संबंध में परिपक्व निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। यही किसी स्वशासी समाज की सबसे बड़ी पहचान है। ज्ञान केंद्र किसी व्यक्ति विशेष का मंच नहीं है। यह समाज का मंच है। यहाँ व्यक्तियों की प्रतिष्ठा नहीं, विचारों की परीक्षा होती है। यहाँ मतभेद संघर्ष का कारण नहीं, बल्कि विचार-मंथन का अवसर माने जाते हैं। सत्य की खोज किसी एक व्यक्ति या समूह का अधिकार नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक प्रक्रिया है।

इसी कारण प्रत्येक ज्ञान केंद्र पूर्णतः स्वतंत्र होगा। उसकी कार्यप्रणाली स्थानीय समाज के सहयोग से संचालित होगी। उसका संचालन करने वाले लोग भी उसी क्षेत्र के होंगे। ज्ञान केंद्र का दायित्व किसी बाहरी नियंत्रण को स्वीकार करना नहीं, बल्कि समाज के बीच ज्ञान, संवाद और सहयोग की संस्कृति का विकास करना है। ज्ञान केंद्र का निर्माण किसी भवन से नहीं होता। जहाँ कुछ जागरूक व्यक्ति नियमित रूप से अध्ययन, संवाद और समाजहित के विषयों पर विचार-मंथन करने के लिए एकत्र होने लगते हैं, वहीं से ज्ञान केंद्र की शुरुआत हो जाती है। बाद में आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुसार उसका स्वरूप विकसित होता है। लोक व्यवस्था जागरण अभियान का लक्ष्य देश के प्रत्येक गाँव, कस्बे और नगर में ऐसे ज्ञान केंद्रों की स्थापना करना है, जो समाज की स्वशासी शक्तियों के जागरण के स्थानीय केंद्र बन सकें। जब हजारों ज्ञान केंद्र स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, तब विचारों का एक ऐसा राष्ट्रीय प्रवाह विकसित होगा जो समाज को भीतर से संगठित, जागरूक और उत्तरदायी बनाएगा।

ज्ञान केंद्र कैसे कार्य करेगा?

ज्ञान केंद्र का संचालन किसी आदेश, नियंत्रण या केंद्रीकृत व्यवस्था के आधार पर नहीं, बल्कि समाज के विश्वास, सहभागिता और आत्मानुशासन के आधार पर होगा। ज्ञान केंद्र का वास्तविक बल उसके भवन, संसाधनों या संख्या में नहीं, बल्कि वहाँ निरंतर चलने वाले अध्ययन, संवाद और विचार-मंथन में निहित होगा। प्रत्येक ज्ञान केंद्र पूर्णतः स्वतंत्र होगा। वैचारिकी का स्वभाव स्वतंत्र है, इसलिए ज्ञान केंद्र पर किसी व्यक्ति, संस्था या बाहरी तंत्र का वैचारिक नियंत्रण नहीं होगा। प्रत्येक केंद्र स्थानीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं और समाज की सहभागिता के अनुसार अपनी कार्यपद्धति विकसित करेगा। स्वतंत्रता का अर्थ अव्यवस्था नहीं, बल्कि उत्तरदायित्वपूर्ण स्वशासन है। ज्ञान केंद्र का संचालन उसी क्षेत्र के जागरूक और उत्तरदायी लोगों के हाथों में होगा। उसके व्यवस्थापक, संचालक और सहयोगी बाहर से नियुक्त नहीं किए जाएँगे, बल्कि स्थानीय समाज के विश्वास से विकसित होंगे। ज्ञान केंद्र किसी पद या अधिकार का केंद्र नहीं, बल्कि दायित्व का केंद्र होगा। ज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य नियमित अध्ययन और विचार-मंथन की परंपरा विकसित करना है। यहाँ पुस्तकों, लेखों, पत्रिकाओं और विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन किया जाएगा। समसामयिक घटनाओं पर चर्चा होगी, सामाजिक प्रश्नों पर विचार होगा और व्यवस्था परिवर्तन से जुड़े विषयों पर खुले मन से संवाद होगा। किसी भी विचार को केवल इसलिए स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि वह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या संस्था से जुड़ा है। प्रत्येक विचार का मूल्यांकन तर्क, अनुभव और समाजहित की कसौटी पर किया जाएगा। ज्ञान केंद्र में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होगी। असहमति का सम्मान होगा। मतभेद संवाद का आधार बनेंगे, संघर्ष का नहीं। उद्देश्य किसी को पराजित करना नहीं, बल्कि सभी के सहयोग से सत्य के अधिक निकट पहुँचना होगा। यही स्वस्थ वैचारिक परंपरा का मूल है। ज्ञान केंद्र केवल चर्चा तक सीमित नहीं रहेगा। समाज की आवश्यकताओं के अनुसार अध्ययन शिविर, पुस्तक चर्चा, परिवार संवाद, युवाओं के अध्ययन समूह, ग्राम स्तरीय बैठकों तथा अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा सकेगा। प्रत्येक गतिविधि का उद्देश्य समाज में जागरूकता, सहयोग और स्वशासन की भावना को सुदृढ़ करना होगा।

ज्ञान केंद्र किसी राजनीतिक दल का कार्यालय नहीं होगा। यह किसी धार्मिक संप्रदाय का प्रचार केंद्र भी नहीं होगा। यह आंदोलन चलाने वाला मंच नहीं होगा और न ही किसी सरकारी संस्था का विकल्प होगा। इसका कार्य समाज को विभाजित करना नहीं, बल्कि संवाद के माध्यम से जोड़ना है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत होगा, चाहे उसकी विचारधारा, सामाजिक पृष्ठभूमि, भाषा, धर्म या राजनीतिक मत कुछ भी हो। ज्ञान केंद्र का लक्ष्य अनुयायी बनाना नहीं, बल्कि विचारशील नागरिक बनाना है। ऐसा नागरिक जो स्वतंत्र रूप से सोच सके, समाज के प्रति उत्तरदायित्व का अनुभव करे और सहजीवन की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। यही व्यक्ति आगे चलकर परिवार, समाज और व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का वाहक बनता है। जब देश के प्रत्येक गाँव, कस्बे और नगर में

ऐसे ज्ञान केंद्र सक्रिय होंगे, तब वे केवल अध्ययन के केंद्र नहीं रहेंगे, बल्कि समाज की स्वशासी शक्तियों के जागरण के केंद्र बन जाएँगे। यही ज्ञान केंद्र योजना का वास्तविक उद्देश्य है।

ज्ञान केंद्र के सात मूल सूत्र

1. ज्ञान केंद्र पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

किसी व्यक्ति, संस्था, विचारधारा अथवा तंत्र का उस पर वैचारिक नियंत्रण स्वीकार नहीं होगा।

2. ज्ञान केंद्र सभी विचारों के लिए खुला मंच होगा।

समान विचार वाले नहीं, बल्कि भिन्न और विपरीत विचार रखने वाले लोग भी सम्मानपूर्वक संवाद में सहभागी होंगे।

3. निष्कर्ष से अधिक महत्व विचार-मंथन का होगा।

ज्ञान केंद्र का उद्देश्य शीघ्र निर्णय देना नहीं, बल्कि विचारों को तर्क, अनुभव और प्रमाण की कसौटी पर बार-बार परखना है।

4. कोई भी विचार अंतिम नहीं होगा।

प्रत्येक निष्कर्ष निरंतर समीक्षा के लिए खुला रहेगा। पर्याप्त मंथन और समय के बाद ही किसी विचार को परिपक्व निष्कर्ष माना जाएगा।

5. व्यक्ति नहीं, विचार केंद्र में होंगे।

किसी व्यक्ति का प्रभाव, पद, धन, लोकप्रियता या वक्तृत्व किसी विचार की सत्यता का प्रमाण नहीं होगा।

6. ज्ञान केंद्र समाज का होगा।

उसका संचालन स्थानीय समाज के बीच से विकसित लोग करेंगे। ज्ञान केंद्र किसी संगठन की शाखा नहीं, बल्कि समाज की वैचारिक संपत्ति होगा।

7. ज्ञान केंद्र का अंतिम लक्ष्य समाज की स्वशासी शक्तियों का जागरण है।

अध्ययन, संवाद और विचार-मंथन के माध्यम से ऐसा समाज निर्मित करना, जो विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम हो और "तंत्र मुक्त संविधान, युक्त समाज व्यवस्था" की दिशा में अग्रसर हो।

ज्ञान केंद्र का अंतिम लक्ष्य ऐसी सामाजिक चेतना का निर्माण करना है, जिसके आधार पर न्यायपूर्ण, उत्तरदायी और स्वशासी समाज का विकास हो तथा संविधान वास्तविक लोकसहमति का प्रतिनिधित्व कर सके।

चौपाल का आधुनिक पुनर्जागरण

यदि सरल शब्दों में ज्ञान केंद्र योजना को समझना हो, तो यह भारतीय समाज की धुंधली पड़ चुकी चौपाल परंपरा के आधुनिक पुनर्जागरण का आंदोलन है। यह ऐसी चौपाल है जहाँ जाति, दल, संप्रदाय और वर्चस्व नहीं, बल्कि ज्ञान, संवाद और समाजहित केंद्र में हों। जहाँ व्यक्ति अपनी बात कह सके, दूसरों को सुन सके, प्रश्न पूछ सके, अपने विचारों की परीक्षा करा सके और समाज के साथ मिलकर सत्य की खोज कर सके। यही किसी जीवंत सभ्यता की पहचान होती है।

ज्ञान केंद्र उस विश्वास का नाम है कि समाज स्वयं सोच सकता है, स्वयं सीख सकता है और स्वयं अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। यह समाज की स्वशासी शक्तियों को पुनः जागृत करने का माध्यम है। लोक व्यवस्था जागरण अभियान इसी विश्वास पर आधारित है कि स्थायी परिवर्तन ऊपर से आरोपित नहीं होता, बल्कि समाज के भीतर से जन्म लेता है। जब विचार स्वतंत्र होंगे, परिवार उत्तरदायी होंगे, समाज संगठित होगा और संविधान वास्तविक लोकसहमति का प्रतिनिधित्व करेगा, तब "तंत्र मुक्त संविधान, युक्त समाज व्यवस्था" का लक्ष्य भी साकार होने लगेगा। इसी विश्वास के साथ ज्ञान केंद्र योजना प्रत्येक गाँव, प्रत्येक कस्बे और प्रत्येक नगर तक पहुँचने का आह्वान करती है। यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि अध्ययन, संवाद, संगठन और आत्मजागरण की सतत यात्रा है। इस यात्रा का प्रत्येक सहभागी केवल एक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि समाज के भविष्य का निर्माता है।

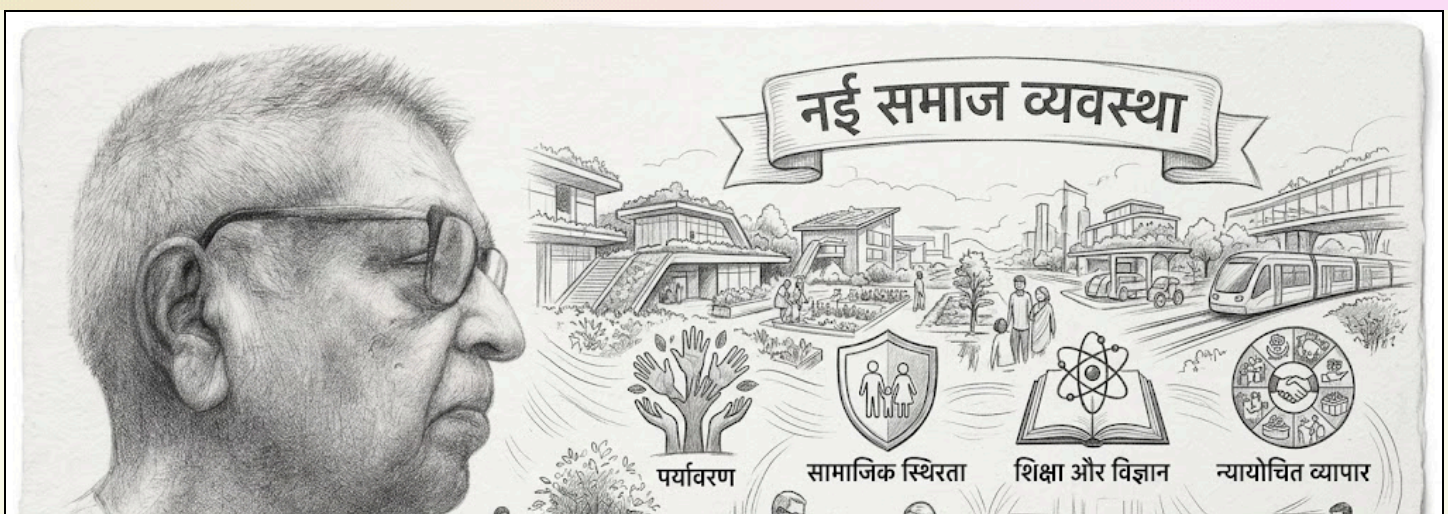

1 सामाजिक एकता का महाअभियान: आइए समाज को संगठित करें

हम अच्छी तरह समझते हैं कि दुनिया का हर नेता सामाजिक एकता को सबसे बड़ा खतरा समझता है। लंबे समय से नेताओं ने सामाजिक एकता को तोड़ने के लिए अनेक तरह के कानून भी बनाए, प्रचार भी किया और राजनेताओं के प्रचार से प्रभावित होकर ही सामाजिक एकता सारी दुनिया में तार-तार हो गई। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं लिंग के नाम पर और कहीं गरीब-अमीर के नाम पर किसी न किसी रूप में सामाजिक एकता को कमजोर किया गया। सामाजिक एकता के मामले में स्वामी दयानंद का आर्य समाज, गांधी का सर्वोदय, श्री राम शर्मा का गायत्री परिवार और हम लोगों का माँ संस्थान पूरी तरह सक्रिय हैं। वर्तमान समय में तो संघ परिवार और मोहन भागवत भी सामाजिक एकता के मामले में सबसे आगे चल रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि हम सब मिलकर जातिवाद, सांप्रदायिक संगठन, महिला तुष्टिकरण जैसे सभी संगठनों का सामाजिक बहिष्कार करें। हम जानते हैं कि हर राजनेता या हर अपराधी इस प्रकार के जाति और धार्मिक संगठनों का सहारा लेते हैं और वर्तमान समय में भी आप लगातार देख रहे होंगे कि अपराधी तत्व और राजनेता ही इस तरह के संगठन बनाने में सबसे आगे रहते हैं, इसलिए हम सब लोगों का यह कर्तव्य भी है और दायित्व भी है कि हम सब लोग मिलकर सामाजिक एकता को संगठित करें। अगर समाज संगठित हो जाएगा तो यह सब कमजोर पड़ जाएंगे। इसी योजना के अंतर्गत हमारे सब साथी मिलकर 25 और 26 जुलाई को अयोध्या में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। इस सम्मेलन का नाम लोक व्यवस्था जागरण अभियान रखा गया है। मैं चाहता हूँ कि सामाजिक एकता के सभी पक्षधर इस दो दिवसीय सम्मेलन में बैठकर भविष्य की योजना बनाएँ। इस सम्मेलन में भाषणबाजी कम होगी, योजनाएँ अधिक बनेंगी। मैं इस सम्मेलन के माध्यम से समाज सशक्तिकरण के हर प्रयत्न का पूरा समर्थन और सहयोग करूँगा।

2 जातिवाद की नई दिशा: बदलते सामाजिक और राजनीतिक समीकरण

स्वतंत्रता के पूर्व जैसी हमारी समाज व्यवस्था थी, उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि उस समय 99% योग्यता सवर्ण के पास थी और सवर्ण में भी आधे से अधिक योग्यता ब्राह्मण के पास मानी जाती है। स्वतंत्रता के बाद सवर्ण ने मिलकर सरकारी नौकरी और राजनीति को अधिक आकर्षक और शक्तिशाली बना दिया। वह सारा लाभ इन दो तक सीमित करना चाहते थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने उसमें हस्तक्षेप किया और उस लाभ में कुछ प्रतिशत कम योग्य लोगों को भी मिलने की व्यवस्था कर दी। अंबेडकर के इस षड्यंत्र को सवर्ण ने चुपचाप स्वीकार कर लिया। धीरे-धीरे यह अंबेडकरवादी पूरे समाज को ब्लैकमेल करने लगे, लेकिन सवर्ण इन सब बातों को देखते हुए भी इसलिए चुप रहे कि हिंदू एकता की ज्यादा जरूरत है और मुसलमान इसका लाभ उठा सकते हैं। यही सोचकर कुछ मुट्ठी भर अवर्णों की दादागिरी भी सवर्ण बर्दाश्त करते रहे। लेकिन पिछले 1 वर्ष से जब यह बात साफ हो गई कि अब नक्सलवाद भी समाप्त हो जाएगा और जल्दी ही मुस्लिम सांप्रदायिकता पर भी नियंत्रण हो जाएगा, तब सवर्ण में इस बात की छीना-झपटी शुरू हुई कि अब लाभ के अवसर जातिवाद के आधार पर ही मिल सकते हैं। यही कारण है कि पिछले एक-दो वर्षों से सवर्ण में जातिवाद की लहर आनी शुरू हुई और जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूं कि सवर्ण में ब्राह्मणों की योग्यता बहुत अधिक थी, चाहे वह कार्य वैचारिक और विद्वत्तापूर्ण हो या आपराधिक, और ब्राह्मण ही पिछले 70 वर्षों तक सबसे अधिक इस जातिवाद का शिकार रहा है। यही कारण है कि वर्तमान समय में भारत में ब्राह्मण ही सबसे अधिक तेज गति से उग्र हो रहा है। फिर भी मैं ऐसा सोचता हूं कि भरत तिवारी और बैकुंठपुर की घटना को यदि एक साथ जोड़कर देखा जाए, तो ब्राह्मणों ने मुद्दे चुनने में कहीं न कहीं भूल की है। चर्चा जारी रहेगी।

3 अपराध नियंत्रण के लिए स्पष्ट परिभाषा और प्रभावी रणनीति

हमारी प्रमुख प्राथमिकता होगी कि हम अपराध-मुक्त समाज बना सकें। हम इसके लिए यह परिभाषा तय करेंगे कि जिस जिले में एक प्रतिशत से कम अपराधी होंगे, उस जिले को हम अपराध-मुक्त घोषित कर देंगे। जिस जिले में 1 से 2% तक अपराधी होंगे, उस जिले को हम अपराध-नियंत्रित घोषित कर देंगे और जिस जिले में 2% से अधिक अपराधी होंगे, उस जिले को हम अपराध-युक्त मानेंगे और वहाँ विशेष प्रावधान लागू करेंगे। इस तरह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता यह होगी। इसके लिए हम विशेष प्रावधान करेंगे। पहली बात यह है कि हम अपराधों की परिभाषा सुधार देंगे। अर्थात हिंसा और जालसाजी को छोड़कर बाकी सारे कार्य अपराध-मुक्त माने जाएंगे या गैरकानूनी होंगे। चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार, जालसाजी, धोखाधड़ी, मिलावट, कम तौल, किसी भी प्रकार का बल प्रयोग, सिर्फ यही कार्य अपराध माने जाएंगे, अन्य नहीं। जिस जिले में 2% से अधिक अपराधी होंगे, उन जिलों में हम विशेष प्रावधान बनाएंगे और वहाँ अपराधियों में डर पैदा करने के लिए गुप्तचर न्यायाधीश प्रणाली भी बनाएंगे। हम चाहेंगे कि लोकतंत्र अपराध-नियंत्रण में कहीं बाधक न बन सके। इस तरह हम पूरे समाज को अपराध-नियंत्रित समाज की गारंटी देंगे।

4 समानता की विकृत परिभाषा और सामाजिक टकराव

समाज-विरोधी तत्वों ने दुनिया में जो अनेक परिभाषाएँ विकृत कर दीं, उसी की कड़ी में समानता की परिभाषा को भी विकृत किया गया। यह प्राकृतिक रूप से सही है कि दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति किसी भी मामले में समान हो ही नहीं सकते। साथ ही यह बात भी सच है कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता समान होती है। इन दो मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव करके समानता की एक गलत परिभाषा प्रसारित कर दी गई और उस परिभाषा को संविधानों में डाल दिया गया, जबकि असमानों को कभी समान बनाया ही नहीं जा सकता। आप

उनकी असमानता कम कर सकते हैं, लेकिन वह समान नहीं हो सकती। समानता की जो गलत परिभाषा बनाई गई है, इस गलत परिभाषा के कारण ही समाज में अनेक प्रकार के टकराव पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जब समानता संभव ही नहीं है, तो इस तरह के आश्वासन क्यों देना चाहिए। कमजोरों की सहायता करना मजबूतों का कर्तव्य होता है, कमजोरों का अधिकार नहीं। कमजोरों को मजबूतों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। दुर्भाग्यवश विकृत परिभाषा ने कमजोरों की मदद करना कमजोरों का अधिकार घोषित कर दिया और यह दुनिया में टकराव के प्रमुख कारणों में से एक है। इसलिए अब समानता की पूरी परिभाषा को बदल देना चाहिए।

5 नई समाज व्यवस्था में योग का व्यापक स्वरूप

आज 21/06/2026 को योग दिवस है। योग दिवस के दिन हम नई समाज व्यवस्था में योग को और अधिक महत्वपूर्ण स्थान देंगे। हम अष्टांग योग को महत्वपूर्ण मानते हैं। वर्तमान जो योग पद्धति है, यह शारीरिक शुद्धि के लिए बहुत अच्छी है। इससे बीमारियाँ कम होती हैं, लेकिन इसमें मानसिक शुद्धि और आत्मिक शुद्धि का समावेश नहीं है। जबकि योग मानसिक शुद्धि से शुरू होता है, शारीरिक शुद्धि उसके बाद होती है और उसके बाद आत्मिक शुद्धि तक इसका समापन होता है। लेकिन वर्तमान योग शारीरिक शुद्धि तक सीमित हो गया है। यद्यपि यह कार्य अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन इसे योग का नाम न देकर यदि कोई और नाम दिया जाता, तो अधिक अच्छा होता। योग का तो सीधा अर्थ है मानसिक शुद्धि, उसके बाद शारीरिक शुद्धि और उसके बाद आत्मिक शुद्धि। हम योग शब्द को इन तीनों शुद्धियों के साथ जोड़कर स्थापित करेंगे और वर्तमान योग पद्धति का कोई अलग नामकरण करेंगे, जिससे भ्रम न पैदा हो।

6 समाज और राज्य का संतुलन: नई व्यवस्था का आधार

नई समाज व्यवस्था द्विस्तरीय होगी। एक व्यवस्था समाज की होगी और एक व्यवस्था संविधान की होगी। समाज की व्यवस्था परिवार से शुरू होगी और राज्य की व्यवस्था केंद्र सरकार से शुरू होगी। समाज की व्यवस्था नीचे से ऊपर की तरफ क्रमशः जाएगी। नीचे वाले ऊपर वालों को अधिकार देंगे। ऊपर वाले कोई मनमानी नहीं कर सकेंगे। राज्य की व्यवस्था में ऊपर वाले नीचे वालों को अधिकार देंगे। नीचे वाले कोई मनमानी नहीं कर सकेंगे। व्यक्ति और नागरिक, दोनों की भूमिकाएँ अलग-अलग होती हैं। व्यक्ति वे होते हैं जो समाज के अंग होते हैं और नागरिक संविधान से चलते हैं। नागरिकों को अधिकार संविधान देता है और व्यक्ति के अधिकार प्रकृति-प्रदत्त होते हैं। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति समाज को अधिकार देता है। व्यक्तियों से समाज बनता है और संविधान नागरिकों का निर्माण करता है। व्यक्ति और नागरिक को अलग-अलग समझने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति नागरिक नहीं होता, लेकिन प्रत्येक नागरिक व्यक्ति तो होता ही है। इस तरह नागरिक और व्यक्ति के अलग-अलग अधिकार, दायित्व और कर्तव्य होते हैं। सबकी भूमिकाएँ भी अलग-अलग होती हैं। वर्तमान दुनिया में इन दोनों का अलग-अलग अस्तित्व गड़बड़ हो गया है। हम इसको पूरी तरह अलग-अलग कर देंगे। व्यक्ति और नागरिक बिल्कुल अलग-अलग रहेंगे, यद्यपि प्राथमिक अवस्था में दोनों एक हो सकते हैं।

7 छत्तीसगढ़ जशपुर: जाति पंचायत, बहिष्कार और मौलिक अधिकार का प्रश्न

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के एक गांव में एक ही जाति के एक लड़के और एक लड़की ने अपने परिवार और जाति समाज की असहमति के बाद भी आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली। एक-दो वर्षों के बाद उन दोनों ने जाति पंचायत से निवेदन किया कि उन्हें माफ करके अपनी जाति में शामिल कर लिया जाए। जाति पंचायत ने उन पर ₹5,00,000 का जुर्माना लगाया, जो इन लोगों ने देने से अस्वीकार कर दिया। परिणामस्वरूप जाति ने दोनों का बहिष्कार किया। ये दोनों पति-पत्नी थाने गए और थाने ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। फिर ये दोनों न्यायालय में गए और न्यायालय ने जाति पंचायत करने वाले प्रमुख लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया। प्रश्न उठता है कि क्या इस तरह की जाति पंचायत बहिष्कार नहीं कर सकती है? क्या किसी का बहिष्कार करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा? मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस पूरी घटना में पुलिस गलत थी, न्यायालय गलत है, अथवा जाति पंचायत गलत है, अथवा वे दोनों गलत हैं। मेरे विचार से उस लड़के और लड़की ने यदि एक साथ रहना स्वीकार किया है, तो यह उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन समाज का भी यह सामाजिक अधिकार है कि वह इस प्रकार के गलत कार्य करने वालों का बहिष्कार कर सकता है। बहिष्कार का अधिकार समाज से छीन लेना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। मेरा सुझाव है कि इस मामले में हमें बैठकर उचित-अनुचित का निर्णय करना चाहिए।

8 नई व्यवस्था में गरीबी की स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा

भारत में दुनिया के अन्य अनेक देशों की तुलना में गरीबी लगातार घट रही है। आम नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है। सोना, चांदी, जमीन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इस सच्चाई के बाद भी कुछ लोग गरीबी बढ़ने का झूठा प्रचार कर रहे हैं, जबकि सच बात यह है कि गरीबी घट रही है। आर्थिक असमानता बढ़ रही है, श्रम शोषण बढ़ रहा है, लेकिन आर्थिक असमानता और श्रम शोषण पर से ध्यान हटाने के लिए गरीबी और महंगाई का हल्ला किया जाता है। हम नई व्यवस्था में गरीबी की एक साफ-सुथरी, स्पष्ट परिभाषा बता देंगे। उस परिभाषा के नीचे रहने वाले व्यक्ति को ही गरीब माना जाएगा, उसके ऊपर वाले को नहीं। वर्तमान समय में जो गरीबी रेखा की परिभाषा बनी हुई है, वह या तो गलत है या अपर्याप्त है। भारत में अब गरीबी है ही नहीं, कुछ अपवादस्वरूप व्यक्ति गरीब हो सकते हैं। इसलिए अब गरीबी और अमीरी, इन शब्दों का कोई उपयोग नहीं है। हर आदमी ऊपर वाले की तुलना में गरीब होता है और नीचे वाले की तुलना में अमीर होता है। इसलिए इन दोनों शब्दों को अब बंद कर देने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति न स्थायी रूप से गरीब है, न अमीर है। यह सापेक्ष शब्द है।

9 नई व्यवस्था में मूल अधिकारों का पुनर्निर्धारण

वर्तमान दुनिया में मूल अधिकारों की जो परिभाषाएँ बनी हुई हैं, वे गलत हैं। इसलिए हम लोग नई व्यवस्था में मूल अधिकारों को स्पष्ट परिभाषित करेंगे। हमारे विचार में मूल अधिकार सिर्फ एक होता है, सबकी असीम और समान स्वतंत्रता। इसके अतिरिक्त मूल अधिकार कोई होता ही नहीं है। व्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई सीमा उसकी सहमति के बिना कोई अन्य बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी तो सीमा प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के बराबर होते हैं। मूल अधिकार कभी कम या ज्यादा तब तक नहीं हो सकते, जब तक उसने सहमति न दी हो अथवा कोई अपराध न किया हो। वर्तमान मूल अधिकारों की परिभाषाएँ अपूर्ण हैं या गलत हैं। किसी ने शिक्षा को मूल अधिकार घोषित कर दिया, किसी ने रोजगार को मूल अधिकार घोषित कर दिया। यह सब मूल अधिकार नहीं हैं। मूल अधिकार हैं, असीम स्वतंत्रता, जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, व्यक्तिगत निर्णय का अधिकार। यही मूल अधिकार होते हैं और कोई अधिकार मूल अधिकार नहीं होता। इसलिए हम नई व्यवस्था में मूल अधिकारों की एक साफ-साफ परिभाषा घोषित कर रहे हैं।

10 समाज की अवधारणा बनाम समाजवाद की प्रचलित परिभाषा

दुनिया में अनेक शब्दों की परिभाषाएँ जानबूझकर बदल दी गईं। उनमें धर्म, संविधान, महंगाई, बेरोजगारी और अन्य परिभाषाएँ भी शामिल रही हैं। ऐसी ही एक परिभाषा समाज की भी बदली गई और उसी तरह समाजवाद शब्द पैदा किया गया। वास्तव में समाजवाद का अर्थ होता है समाज सर्वोच्च। समाज शब्द धर्म और राष्ट्र से भी ऊपर होता है। समाज शब्द में जाति, संगठन या अन्य किसी भी प्रकार की कोई सीमाएँ नहीं होतीं, लेकिन समाजवाद शब्द बनाकर उस परिभाषा को विकृत किया गया। समाजवाद शब्द जानबूझकर शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, यह तो अलग प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि जिस तरह साम्यवाद की लहर दुनिया में चल रही थी, उसका मुकाबला करने के लिए यदि समाजवाद शब्द बना होगा, तो वह एक अलग स्थिति थी, जो अब नहीं है। और यदि समाज शब्द को विकृत करने के लिए समाजवाद शब्द बना, तो यह बहुत ही निंदनीय कार्य है। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन अब समाजवाद शब्द की या तो वास्तविक परिभाषा प्रचलित की जानी चाहिए अथवा समाजवाद शब्द को विलोपित कर देना चाहिए। क्योंकि वर्तमान भारत में समाजवाद शब्द भ्रम पैदा कर रहा है, नुकसान कर रहा है। इसलिए मेरा यह विचार है कि या तो हम मिल-जुलकर समाजवाद की "समाज सर्वोच्च" परिभाषा प्रस्तुत करें अथवा समाजीकरण नाम से एक नए शब्द को तैयार करें।

उमाकांत जी पांडे की सूचना के संदर्भ में मेरा स्पष्ट वक्तव्य

उमाकांत जी पांडे नवभारत, बलरामपुर जिले में एक बड़े पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। वे बचपन से मेरी गतिविधियों को लगातार देखते रहे हैं। उन्होंने आज मुझे यह सूचना दी कि मेरे परिवार पर कुछ जमीन संबंधी आरोप लगे हैं। मेरा इस प्रकार के आरोपों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मुझे यह भी पूरा विश्वास है कि मेरे परिवार के लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, जिसके कारण मेरे मित्रों को समाज के सामने अपना सिर झुकाना पड़े। इस प्रकार के समाज-विरोधी तत्व मेरे बचपन से लेकर अब तक आरोप लगाते रहे हैं। मैंने इनका कभी उत्तर नहीं दिया और न कभी आक्रमण किया, क्योंकि वह मेरा न उस समय स्वभाव था, न आज है। मुझे कानून पर भी विश्वास है और समाज पर भी विश्वास है। मुझे इसी प्रकार के झूठे आरोपों में 18 महीने जेल में भी रखा गया। मुझे इसी प्रकार के झूठे आरोपों के आधार पर नक्सलवादी घोषित कर दिया गया। मेरी सारी जमीन जब्त कर ली गई। मुझे गोली मारने का आदेश हो गया, लेकिन कानून और समाज ने इन समाज-विरोधी तत्वों से मेरी हमेशा सुरक्षा की। आज भी यदि समाज-विरोधी तत्व कोई आरोप लगा रहे हैं, तो यह कोई पहली बात नहीं है। कानून और समाज, ये दोनों मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा करेंगे। मैं इस संबंध में किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण देना उचित नहीं समझता, क्योंकि यह मेरा स्वभाव नहीं है। समाज-विरोधी तत्व अपना काम निरंतर कर रहे हैं और मैं अपने स्वभाव के अनुसार अपना काम करता रहूँगा। फिर भी यदि कोई मेरा निकट का मित्र इस संबंध में कोई सच्चाई जानना चाहेगा, तो मैं उससे व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर सकता हूँ। मैंने बचपन में ही तीन बातें स्पष्ट की थीं। पहली बात कि मैं दो नंबर का आदमी हूँ, एक नंबर का नहीं। तीन नंबर का मैं पूरी तरह विरोध करता हूँ। दूसरी, मैं कानून तोड़ूँगा नहीं। या तो कानून से बचूँगा या कानून को बदलवाने का प्रयास करूँगा। तीसरी, मैं समाज में झूठ बोलूँगा नहीं और सच बताने से हमेशा बचने की कोशिश करूँगा। मैं अब तक अपनी तीनों बातों पर कायम हूँ।

आपातकाल की बरसी: लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संकल्प

26/06/2026 को संवैधानिक आपातकाल की बरसी मनाकर आपातकाल को याद किया गया। मैं भी उसका भुक्तभोगी रहा हूं और मुझे भी उसके विरोध में 18 महीने की आपातकालीन जेल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस मत का हूं कि किसी भी परिस्थिति में संवैधानिक आपातकाल का विरोध किया ही जाना चाहिए। हम उस आपातकाल की बरसी मनाकर सारी दुनिया को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि अब किसी भी परिस्थिति में भारत में आपातकाल का न समर्थन किया जाएगा और न आपातकाल की परिस्थितियां पैदा होने दी जाएंगी। अब भारत में सब कुछ सामान्य चल रहा है। आपातकाल के समर्थक लोग धीरे-धीरे समाज से बहिष्कृत किए जा रहे हैं। अब संविधान का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। न्यायपालिका भी स्वतंत्र हो रही है। विधायिका और कार्यपालिका भी स्वतंत्र हो रहे हैं। बल्कि हम यह कह सकते हैं कि तीनों ही आंशिक रूप से उद्दंड हो रहे हैं। जिस तरह वर्तमान समय में राजनीतिक व्यवस्था संवैधानिक शासन को सशक्त कर रही है, उस आधार पर यह कहा जा सकता

है कि भविष्य में कभी आपातकाल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और न ही आपातकाल का उपयोग किया जाएगा। जिन लोगों ने संवैधानिक आपातकाल का समर्थन किया था या लागू किया था, आज वे लोग बहुत कष्ट में हैं। वे बहुत भयभीत हैं कि कहीं दो-तिहाई बहुमत लाकर वर्तमान व्यवस्था संवैधानिक तरीके से और शक्तिशाली न हो जाए। वर्तमान परिस्थितियों को वे आपातकाल या अघोषित आपातकाल कहकर दिन-रात झूठ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब समाज इतना परिपक्व हो गया है कि वह इन लोगों की बुरी नीयत को अच्छी तरह समझता है। इंदिरा के आपातकाल के समर्थक वर्तमान सरकार को कमजोर करने में पूरी तरह असफल सिद्ध होते जा रहे हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का जनसमर्थन नहीं मिलना यह सिद्ध करता है कि भारत की जनता परिपक्व है। हमें किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के आपातकाल का विरोध करना ही चाहिए। हम तानाशाही के विरुद्ध हैं और रहेंगे। हम तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र को स्वीकार कर सकते हैं, तानाशाही को नहीं। हम लोकतंत्र के खिलाफ लोक स्वराज की दिशा में जन-जागरण कर सकते हैं। हम संवैधानिक तरीके से संविधान में संशोधन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, लेकिन हम असंवैधानिक तरीके से संविधान पर किसी तरह के नियंत्रण के विरुद्ध थे, हैं और रहेंगे।

सिया गोयल और गुवाहाटी की घटनाएँ: समाज के लिए गंभीर चेतावनी

2 दिन पहले सिया गोयल, पुणे का मामला समाज के सामने आया। विस्तृत विवरण लगातार मीडिया में आ रहा है। इसके पहले भी गुवाहाटी में ठीक ऐसा ही मामला घटित हो चुका है। भविष्य में भी इस तरह के मामले बढ़ सकते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि यह मामले बढ़ रहे हैं, बल्कि मुख्य प्रश्न यह है कि इस तरह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं और इनका समाधान क्या है। आमतौर पर भारत में अनेक परिवारों में इस प्रकार की या इससे मिलती-जुलती घटनाएं होती हैं। लेकिन आमतौर पर या तो इस प्रकार की घटनाएं अप्रत्याशित होती हैं अथवा किसी धोखा देने वाले के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन धोखा देकर किसी निर्दोष की हत्या के मामले यदा-कदा ही सामने आते हैं, जैसा सिया गोयल या गुवाहाटी की घटना में सामने आया। कारण स्पष्ट है। कहीं न कहीं हमारे परिवार-व्यवस्था, समाज-व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था में ऐसी कमजोरियां या गड़बड़ियां मौजूद हैं, जिनके कारण इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। मैंने तो बहुत पहले ही इस प्रकार की घटनाएं बढ़ने की चेतावनी दे दी थी और अपने लोगों को सावधान भी किया था। इन सब में सेक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। सेक्स के मामले में परिवार, समाज और कानून जिस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं, उसके दुष्परिणाम इसी तरह के आएंगे। आपने एक तरफ बाल विवाह पर रोक लगा दी, वेश्यालयों पर रोक लगा दी, सामाजिक नियम बहुत कठोर कर दिए और दूसरी तरफ सेक्स को प्राकृतिक अधिकार न मानकर उसे सामाजिक अधिकार मान लिया। यह मूर्खता अपराधियों ने नहीं की है, यह मूर्खता हम-आपने की है। हमें नए सिरे से इस पूरी व्यवस्था पर विचार करना होगा। हमें बाल विवाह और सेक्स के बारे में फिर से नई सोच बनानी होगी। परिवारों में बच्चों को विवाह के मामले में अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए। उनकी इच्छाओं का अधिक सम्मान होना चाहिए। समाज को भी सेक्स के मामले में और अधिक उदार होने की जरूरत है। सरकार को तो इस मामले में सारे बने हुए कानून हटा ही लेने चाहिए। समाज के कठोर कानून स्वतंत्रता के उल्लंघन के अवसर देते हैं। समाज सिर्फ अनुशासन रख सकता है, शासन नहीं कर सकता। इसलिए मेरा यह विचार है कि इस मामले में परिवार-व्यवस्था, समाज-व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को बैठकर अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहिए।

सांप्रदायिकता से जातिवाद तक: समय की नई चेतावनी

मैं बचपन से ही सांप्रदायिकता को एक बड़ी समस्या समझता था और उसका समाधान करने का भी प्रयास किया। हम लोगों ने मुसलमानों को भी बहुत समझाने का प्रयास किया और संघ परिवार को भी हम लोगों ने रोकने की कोशिश की कि इन दोनों में किसी तरह का टकराव न हो, मुसलमान समझ जाएँ। संघ परिवार के लोग तो मेरी बात कुछ-कुछ मानते भी थे, लेकिन मुस्लिम समाज मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता था। जब हम लोगों की सरकार बनी और मुसलमान अपने संगठनों के सामने किसी की सुनने को ही तैयार नहीं थे, तब हम लोगों ने संघ परिवार के साथ मिलकर मुस्लिम सांप्रदायिकता पर आक्रमण शुरू किया। मुसलमानों ने भी शाहीन बाग आंदोलन और वक्फ आंदोलन के नाम से टकराने की असफल कोशिश की, लेकिन वे असफल हो गए। वर्तमान असम-बंगाल चुनाव के बाद अब मुस्लिम सांप्रदायिकता हार जाने की कगार पर है। मुसलमानों को अब यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि देश शरिया से और मनुस्मृति से नहीं चलेगा। देश चलेगा संविधान से। मुसलमानों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जातिवादी संस्थाओं को बहुत सावधान होना चाहिए कि यदि वे हम लोगों की बात नहीं मानते हैं, तो उनकी वही स्थिति होगी जो आज मुसलमानों की हो रही है।

जातिवाद बनाम सर्वजातीय समाज: भविष्य की दिशा

मैंने 23/06/2026 को जातिवाद पर चर्चा की थी। मेरा यह मानना है कि वर्तमान समय में नक्सलवाद और मुस्लिम सांप्रदायिकता के निपट जाने के बाद जातिवादी संस्थाएं बहुत तेजी से मुखर हो रही हैं। अब जातिवाद पूरी राजनीति पर नियंत्रण करना चाहता है। जातिवाद धीरे-धीरे लंबे समय से बढ़ रहा था और ब्राह्मणों की भूमिका उसमें बहुत कम थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ब्राह्मण इस मामले में बहुत अधिक बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं। जातिवाद के विरुद्ध सर्वजातीय अभियान आर्य समाज, गायत्री परिवार, गांधीवादी, संघ परिवार, माँ संस्थान, ये संस्थाएं चलाती रही हैं। हम लोग भी लगातार सर्वजातीय समूह को महत्व देते रहे, लेकिन जब से इस्लाम कमजोर हुआ है और जातिवाद मजबूत हुआ है, तब से अब हम लोगों की भी हिम्मत कमजोर हो गई है। हम जातिवाद को रोकने में समर्थ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि राजनीति पूरी तरह जातिवाद के सहारे चल रही है। कानून और

संविधान भी जातिवाद को प्रसार दे रहे हैं। ऐसे वातावरण में मुझे यह सही दिखता है कि हम अब जातिवाद का विरोध करना बंद कर दें। जातियों को आपस में कटने-मरने दें, लड़ने-झगड़ने दें और हम सब लोग मिलकर सर्वजातीय समूह को मजबूत करते चलें, क्योंकि मेरे विचार से हम जातिवाद को अब अपनी ताकत लगाकर रोक नहीं सकेंगे। इसलिए मेरा यही विचार है कि हम सर्वजातीय समूह को सशक्त करते चलें। संघ, आर्य समाज, गायत्री परिवार और गांधीवादी मिलकर सर्वजातीय समूह को मजबूत करें। यही एकमात्र मार्ग दिखता है।

राम विचार नेताम को आशीर्वाद देने पर मेरा स्पष्टीकरण

मेरी उम्र अभी 87 वर्ष है। मैं बाहर आना-जाना भी अब लगभग नहीं कर पाता हूं। मैं आपातकाल के आंदोलन में 18 महीने जेल में रहा और वर्तमान समय में उसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम मुझे सम्मानित करने के लिए मेरे घर आए, क्योंकि बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में वर्तमान में मैं अकेला मीसा बंदी हूं। रामविचार जी ने आकर मुझे शाल-श्रीफल भेंट किया और मैंने रामविचार जी को चुनाव जीतने का आशीर्वाद दिया। मेरे आशीर्वाद से रामविचार जी के विरोधी नेताओं को बहुत कष्ट हुआ है, जबकि सच्चाई यह है कि हर चुनाव में वे मेरा आशीर्वाद मांगते हैं और मैं उन्हें देता हूं, भले ही 42 वर्षों से मैंने वोट न दिया हो। उसके बाद दो-तीन दिनों से रामविचार नेताम के विरोधियों ने एक अभियान छेड़ दिया है कि मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया या उन्होंने लिया। मेरे विचार से मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मैं हमेशा रामविचार नेताम के जीतने की कामना करता हूं। मैं यद्यपि किसी चुनाव में किसी की मदद नहीं करता, लेकिन मेरी यह इच्छा जरूर रहती है कि रामविचार नेताम चुनाव जीतें। जिनको भी इस बात से बुरा लगा, वे गलत हैं, मैं नहीं।

नरेंद्र मोदी, विपक्ष और बदलता राजनीतिक परिदृश्य

यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो चुकी है कि भारत का वर्तमान विपक्ष नरेंद्र मोदी को कमजोर करने में निराश हो चुका है। अब उसे या तो भगवान पर उम्मीद है अथवा विदेशों पर उम्मीद है अथवा भाजपा के अंदर से ही कोई संभावना बन सकती है, लेकिन विपक्ष को अब अपनी शक्ति पर कोई विश्वास नहीं रहा। यही कारण है कि पिछले दिनों दुनिया भर के मीडिया वालों ने एकजुट होकर नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनौती देने के लिए एक कॉकरोच जनता पार्टी पर विश्वास जताया। मुझे आश्चर्य हुआ कि बीबीसी भी सारी ताकत लगाकर कॉकरोच जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में लग गया और आज तक बीबीसी ने हार नहीं मानी है, क्योंकि बीबीसी को ऐसा विश्वास है कि कॉकरोच कभी मरता नहीं है और कुछ दिनों में कॉकरोच की आवाज छात्र सुन लेंगे, किसान सुन लेंगे, मजदूर सुन लेंगे। वांगचुक भी अभी वहां डटे हुए हैं। एक-दो कम्युनिस्ट भी अभी लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे अब इन लोगों की निराशा बढ़ रही है। देखिए, शायद दो-चार दिनों में कॉकरोच के मरने का समाचार प्राप्त हो जाए। नरेंद्र मोदी सरकार कॉकरोचों से और विदेशी प्रयासों से कमजोर होने वाली नहीं है, क्योंकि उसे भारत की आम जनता का विश्वास प्राप्त है।

ममता बनर्जी और बंगाल चुनाव: एक राजनीतिक मोड़

जिस तरह की पहले उम्मीद की जा रही थी, ठीक वैसा ही परिणाम बंगाल चुनाव का सामने दिख रहा है। विपक्ष की हिम्मत पूरी तरह टूट गई है। मुस्लिम सांप्रदायिकता की भी हिम्मत टूट चुकी है। दोनों ही अब टकराव के मूड में नहीं दिखते। एकमात्र उम्मीद ममता बनर्जी से ही दिख रही थी, क्योंकि ममता बनर्जी बहुत दबंगई के साथ पूरे देश के खिलाफ खड़ी थीं। यहाँ तक कि ममता बनर्जी न केंद्र सरकार की परवाह करती थीं, न संविधान की, न सेना की, न न्यायपालिका की। उन्हें भरोसा था बांग्लादेश पर। उन्हें भरोसा था कि यदि बात ज्यादा बढ़ेगी, तो हम बंगाल को स्वतंत्र कर देंगे। उन्हें भरोसा था कि मुसलमान अंत तक उनका साथ देंगे। लेकिन ममता बनर्जी को जैसा लोकतांत्रिक झटका लगा, उस झटके को न ममता संभाल पाईं, न मुसलमान संभाल पाए, न विपक्ष संभाल पाया और भारत की राजनीति सही दिशा में चल पड़ी है। कल नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा, वह वास्तव में सच्चाई ही थी। लेकिन ममता बनर्जी का इस तरह समाप्त होना बहुत बड़ा बदलाव है। ममता बनर्जी कम्युनिस्टों से भी आगे बढ़कर खतरनाक दिशा तक जा रही थीं। ममता बनर्जी को रोकना कोई आसान काम नहीं था। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी भी ममता का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन जिस तरह स्वाभाविक रूप से ममता घेर दी गईं, वह वास्तव में लोकतंत्र का ही कमाल है। अन्यथा सेना भी बंगाल को नियंत्रित नहीं कर पाती। बंगाल के चुनावों ने लोकतंत्र की ताकत सिद्ध कर दी है। यह बात पूरी तरह सिद्ध हो गई है कि ममता बनर्जी बंगाल की शेरनी थीं। इसके पहले यह पद इंदिरा गांधी के पास था, लेकिन इंदिरा गांधी की तुलना में ममता बनर्जी बहुत आगे निकल गईं। इंदिरा गांधी को भी जनता ने धोखा दिया था, अन्यथा इंदिरा गांधी न चुनाव हारतीं, न सत्ता छोड़तीं, भले ही हजारों लोग मार दिए जाते। इंदिरा गांधी किसी लोकतंत्र को मानने वाली नहीं थीं। ठीक यही हाल ममता बनर्जी का हुआ है। ममता बनर्जी को जब लगभग 12:00 बजे यह विश्वास हो गया कि अब वह चुनाव हार जाएँगी, सरकार नहीं बचेगी, तब एकाएक ममता शेरनी के समान आक्रमण के लिए तैयार हो गईं। तुरंत ही ममता ने यह भाषण दिया कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हमारा बहुमत आ रहा है और इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तुरंत ही वह मतगणना स्थल पर गईं और अपनी सोच के अनुसार शेर के समान मतगणना स्थल में जाकर घुस गईं, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ नहीं था कि जो पुलिस वाले उनके सामने बकरी के समान "में-में" करते थे, वही पुलिस वाले उनको रोकने, धक्का देने और पीटने के लिए तैयार हो जाएँगे। ममता उस समय मुख्यमंत्री थीं। उन्हें ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह साधारण पुलिस वाले उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। यदि वहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता, तो ममता अपने शेर के समान वहाँ ताकत का प्रयोग करतीं। उसका क्या परिणाम होता,

यह तो पता नहीं, लेकिन ममता हार मानने वाली जीव नहीं थीं। इसीलिए मैंने आज सवेरे लिखा कि ममता लोकतंत्र से हार गईं, ताकत से नहीं। आज ममता की जो दुर्दशा हो रही है, उनके लोग सड़कों पर नहीं निकल पा रहे हैं। यदि आप ठीक से आकलन करें, तो इंदिरा गांधी की तुलना में ममता ज़्यादा खतरनाक थीं।

भारत की विदेश नीति और बदलते वैश्विक राजनीतिक समीकरण

भारत की आंतरिक राजनीति में मुसलमान एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लंबे समय तक मुसलमान जिसे चाहे, उसे ही सरकार बनाते रहे। अब भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में कुछ बदलाव दिख रहा है। फिर भी एकजुट मुसलमान की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि राजनीतिक विपक्ष में मुसलमान ही महत्वपूर्ण स्थान रख रहे हैं। ट्रंप के आने के बाद दुनिया का राजनीतिक समीकरण बदल रहा है। भारत सरकार के एक तरफ ट्रंप हैं, दूसरी तरफ रूस और चीन हैं, तीसरी तरफ मुस्लिम देश हैं और भारत सरकार इन तीनों के बीच में है। यही सोचकर हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार छोटे-छोटे देशों की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच में ये छोटे-छोटे देश बहुत सहायक हो सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जितना ही इन छोटे देशों की यात्रा करते हैं, उतना ही राहुल गांधी को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि यदि नरेंद्र मोदी इन छोटे-छोटे और खासकर मुस्लिम देशों के साथ अच्छे संबंध बना लेंगे, तो फिर राहुल गांधी की रही-सही लड़ाई भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत का मुसलमान विदेशों पर निर्भर करता है और विदेश में नरेंद्र मोदी लगातार पकड़ मजबूत कर रहे हैं। यही चिंता राहुल गांधी को इतना परेशान कर रही है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरे विचार से नरेंद्र मोदी बिल्कुल ठीक दिशा में बढ़ रहे हैं। हमें अमेरिका, चीन और तीसरे विश्व, तीनों के बीच संतुलन बनाकर रखना चाहिए। इस दिशा में नरेंद्र मोदी की पहल ठीक है।

श्रम, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था: भारत के लिए नई नीति का प्रस्ताव

भारत सरकार की एक साफ-साफ ऊर्जा नीति होनी चाहिए। कृत्रिम ऊर्जा को मानवीय ऊर्जा का प्रतिस्पर्धी माना जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ। बिजली और डीजल का रेट बढ़ा देना चाहिए था, लेकिन पूंजीपतियों और बुद्धिजीवियों के दबाव में डीजल, पेट्रोल और बिजली का रेट नहीं बढ़ाया जा रहा है। थोड़ा-सा दिखावे के लिए सरकार कभी-कभी बिजली का रेट बढ़ा देती है और पूंजीपति-बुद्धिजीवियों के दलाल उस बढ़ी हुई रेट का विरोध करते हैं। साफ-साफ बात है कि श्रम खरीदने वालों का अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक दबाव है और उन्हें श्रम बेचने वालों की कोई चिंता नहीं है। अगर डीजल, पेट्रोल और बिजली का थोड़ा-सा रेट बढ़ जाए, तो यह सब श्रम खरीदने वाले लोग आसमान सिर पर उठा लेते हैं, लेकिन अनाज, कपड़ा, दाल और कृषि उत्पादन पर अगर टैक्स बढ़ जाए, तो उनकी ज़ुबान बंद हो जाती है। अब भारत सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम विदेशों से डीजल-पेट्रोल नहीं खरीदेंगे। हम भारत के ही एथेनॉल अथवा सौर ऊर्जा से अपना काम चलाएंगे। हम एथेनॉल और सौर ऊर्जा को भी इतना महंगा रखेंगे कि श्रम पर बुरा प्रभाव न पड़े। जिस दिन हम डीजल-पेट्रोल का आयात बंद कर देंगे, उसी दिन भारत की प्रगति बहुत तेज गति से होने लग जाएगी। मैं चाहता हूं कि सरकार बहुत तेज गति से डीजल-पेट्रोल का विकल्प खोजे और बिजली को भी इतना महंगा कर दे कि हम सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग करने लग जाएं।

आदिवासी क्षेत्रों का विकास: बलरामपुर रेल परियोजना पर चर्चा

भारत में लंबे समय से यह बहस चल रही है कि नेहरू के कार्यकाल में देश में संतुलित विकास हुआ या नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। इस बहस में बार-बार दोनों ही तरह की बातें आती रहती हैं। मैं छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी जिले बलरामपुर में रहता हूं। हमारे बलरामपुर जिले में स्वतंत्रता के पहले ट्रेन लाइन का कार्य शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने यह कार्य शुरू किया था। उस कार्य में कुछ दूर तक रेलवे स्टेशन भी बना दिए गए थे। जमीन का अधिग्रहण भी हुआ था। मिट्टी भी भरी गई थी। सबसे बड़ी नदी कनहर में पुल भी बन रहा था। एकाएक उस कार्य को नेहरू कालखंड में धन के अभाव में रोक दिया गया। अब 70 वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने कल उस रेल लाइन को स्वीकृति दी है। अब आप सोच लीजिए कि नेहरू के कार्यकाल में संतुलित विकास हो रहा था अथवा नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। हमें खुशी है कि हमारे पिछड़े जिले को पहली बार रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा और इसका श्रेय नरेंद्र मोदी सरकार को जाता है, जबकि उस रेल लाइन को बंद करने का श्रेय नेहरू परिवार को जाता है। आप पूरे भारत का ऐसा उदाहरण खोजकर निकालिए, जहां पिछली सरकारों के कार्यकाल में पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्रों में कोई योजना चल रही हो और नरेंद्र मोदी सरकार ने उस योजना को रोक दिया हो। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि नेहरू परिवार की तुलना में नरेंद्र मोदी सरकार में संतुलित विकास हो रहा है।

स्वराज और सुराज: परिभाषा का मूल अंतर

वर्तमान दुनिया में अनेक परिभाषाएँ बदल दी गई हैं। इसी तरह स्वराज शब्द की परिभाषा भी बदली गई। स्वराज का अर्थ होता है प्रत्येक इकाई को इकाइगत निर्णय लेने तथा क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता, लेकिन स्वराज का अर्थ बदलकर राष्ट्रीय स्वराज तक सीमित कर दिया गया, जबकि यह परिभाषा पूरी तरह गलत है। इस परिभाषा के बदल देने के कारण ही आज भारत में स्वराज नहीं, सुराज की बात हो रही है, जबकि सच्चाई यह है कि भारत में सुराज अभी तक आया ही नहीं है। साथ में हमारा स्वराज भी चला गया। स्वराज का परिणाम होता है सुराज और सुराज का परिणाम होता है गुलामी। गांधीजी लोक स्वराज के पक्षधर थे। नेहरू जी सुराज के पक्षधर थे। वर्तमान मोदी सरकार भी सुराज की दिशा में बढ़ रही है, स्वराज की दिशा में नहीं। सारी दुनिया का

भी लगभग ऐसा ही हाल है कि दुनिया सुराज को ही स्वराज कहती है, जबकि स्वराज बिल्कुल सुराज के विपरीत अवधारणा है। इसलिए हम नई व्यवस्था में वास्तविक स्वराज की स्थापना करेंगे, राष्ट्रीय सुराज की नहीं। सुराज तो स्वराज के साथ अपने आप आ जाएगा।

संविधान की नई परिभाषा: लोक और तंत्र के बीच संतुलन

सारी दुनिया में संविधान शब्द की चर्चा बहुत होती है, लेकिन संविधान का अर्थ क्या होता है और उसकी उपयोगिता क्या है, यह बात आज तक साफ नहीं हो चुकी है। इसलिए हम लोगों ने गहराई से विचार किया और संविधान की एक नई परिभाषा बनाई, जिसके अनुसार तंत्र के अधिकतम और लोक के न्यूनतम अधिकारों की सीमाएं तय करने वाले दस्तावेज को संविधान कहते हैं। इस तरह हम लोगों ने संविधान और कानून को अलग-अलग किया है। यद्यपि वर्तमान में इन्हें अलग-अलग बताया जाता है, लेकिन उनकी साफ परिभाषा नहीं है। संविधान का मतलब है कि संविधान लोक द्वारा बनाया गया एक दस्तावेज है। जिस संविधान में यह सीमा बनाई गई है कि राज्य समाज के सामाजिक मामलों में और व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों में किस सीमा तक हस्तक्षेप कर सकता है। यह सीमा लोक बनाता है और वही सीमा संविधान है।इतनी साधारण बात आज तक दुनिया के समझ में नहीं आई कि संविधान की परिभाषा क्या होनी चाहिए। हम तंत्र को सारी शक्ति दे रहे हैं, लेकिन उस शक्ति की सीमाएं हम संविधान के माध्यम से निर्धारित कर रहे हैं। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से लोक और तंत्र के बीच एक पुल का काम संविधान करता है। यह भी कह सकते हैं कि लोक और तंत्र के बीच संविधान एक समझौता-पत्र है। आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन संविधान की परिभाषा तो अब बननी ही चाहिए।

"संवैधानिक और सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा" पुस्तक का लोकार्पण

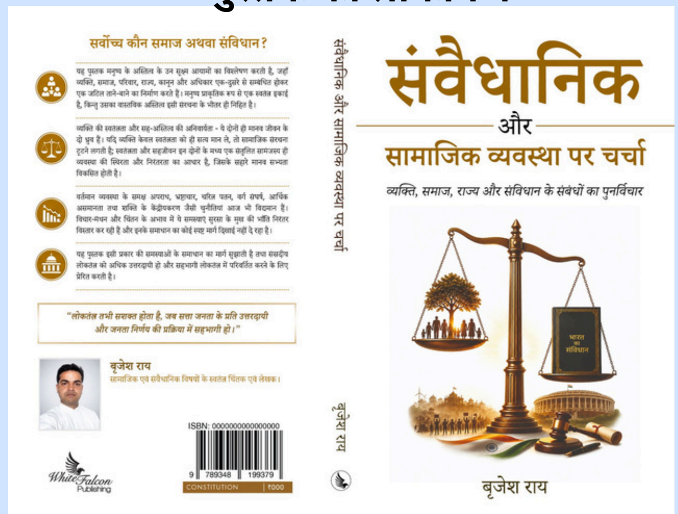

मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान के तत्वावधान में दिनांक 26 जुलाई 2026 को "संवैधानिक और सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा" पुस्तक का अनावरण किया जाएगा। यह पुस्तक लेखक बृजेश राय जी द्वारा अपने मार्गदर्शक, श्रद्धेय बजरंग मुनि जी तथा मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान के सभी साथियों को समर्पित की गई है। इस पुस्तक का उद्देश्य संविधान और समाज से जुड़े जटिल विषयों को सरल, सहज और जनसामान्य की भाषा में प्रस्तुत करना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इन विषयों को समझ सके। सामाजिक और संवैधानिक विषय पर अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ और भ्रम देखने को मिलते हैं, इस कारण से यह पुस्तक तथ्यपरक और संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का एक प्रयास मात्र है। पुस्तक में कुल 16 अध्याय हैं, जिनमें समाज की उत्पत्ति एवं संरचना, संविधान निर्माण, सहजीवन और स्वतंत्रता, लोकतंत्र, राइट टू रिकॉल, समान नागरिक संहिता, मौलिक अधिकार, परिवार व्यवस्था, विवाह, ईश्वर का अस्तित्व, वर्ण व्यवस्था तथा धर्म और धर्मनिरपेक्षता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से विचार प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक के आरंभ में संविधान सभा के गठन पर भी विचार प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में यदि आवश्यक हो, तो नई संविधान सभा के गठन पर किस प्रकार गंभीर विमर्श किया जा सकता है। लेखक का मत है कि संविधान केवल एक स्थिर दस्तावेज नहीं, बल्कि समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर समीक्षा और सुधार का विषय है और व्यक्ति, परिवार, समाज, और राज्य—इन चारों के मध्य संतुलन स्थापित किए बिना एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना संभव नहीं है। लेखक इस पुस्तक के संपादन में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिये ज्ञानेंद्र आर्य जी और नरेंद्र आर्य जी के प्रति विशेष आभारी हैं। उनके मार्गदर्शन, सुझाव और सहयोग ने इस पुस्तक को प्रभावी, संतुलित और पाठकों के लिए उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आशा है कि पुस्तक विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों तथा सामान्य नागरिकों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगी और समाज में जागरूकता, उत्तरदायी अधिक सकारात्मक विमर्श को नई ऊर्जा प्रदान करेगी।

मृतक संस्कार : ऋणमुक्ति और उत्तरदायित्वों की निरंतरता का भारतीय विधान

ज्ञानेंद्र आर्य

भारतीय परंपरा में मृत्यु के उपरांत संपन्न होने वाले संस्कारों को प्रायः कर्मकाण्ड, शोक-प्रक्रिया अथवा परलोक संबंधी विश्वासों के संदर्भ में समझा जाता है। किंतु भारतीय सामाजिक चिंतन के मूल सिद्धांतों के आलोक में देखें तो मृतक संस्कारों का प्रमुख उद्देश्य कुछ और ही दिखाई देता है।

भारतीय चिंतन का आधार अधिकार नहीं, ऋण है।

मनुष्य जन्म लेते ही स्वतंत्र और स्वनिर्मित सत्ता नहीं माना जाता। वह देवों, ऋषियों, पितरों, समाज, प्रकृति और समस्त सृष्टि के योगदानों का परिणाम है। इसलिए वह अनेक ऋणों का धारक बनकर जन्म लेता है। जीवन का उद्देश्य इन ऋणों को यथाशक्ति चुकाना और प्राप्त विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। इसी कारण भारतीय जीवन-पद्धति में यज्ञ को केंद्रीय स्थान दिया गया। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि अपने हिस्से का दायित्व निभाकर प्राप्त ऋणों को चुकाने का प्रयास है। मृत्यु के समय सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं होता कि व्यक्ति कहाँ गया, बल्कि यह होता है कि उसके द्वारा वहन किए जा रहे ऋणों, दायित्वों और उत्तरदायित्वों का क्या होगा।

यहीं से मृतक संस्कारों का वास्तविक उद्देश्य प्रारंभ होता है।

प्रथम से दशम दिवस : जीवन और दायित्वों का लेखा-जोखा

मृत्यु के बाद के दस दिन परिवार को आत्ममंथन का अवसर देते हैं। इस अवधि में परिवार और कुटुम्ब मृतक के जीवन, उसके दायित्वों, अधूरे कार्यों और सामाजिक योगदान का मूल्यांकन करते हैं। यह देखा जाता है कि परिवार की व्यवस्था अब किस प्रकार चलेगी, कौन व्यक्ति कौन-सा उत्तरदायित्व ग्रहण करेगा और मृतक द्वारा निर्मित संरचना को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। अशौच का अर्थ यहाँ अपवित्रता नहीं, बल्कि संक्रमणकाल है। यह वह अवधि है जिसमें परिवार पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था की ओर अग्रसर होता है।

दशम दिवस : शुद्धि का वास्तविक अर्थ

दशम दिवस की शुद्धि को केवल दैहिक शुद्धि मानना उसके व्यापक अर्थ को सीमित कर देना है। यह सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक पुनर्संतुलन की घोषणा है। परिवार यह स्वीकार करता है कि वह शोक की प्रारंभिक अवस्था से बाहर निकलकर पुनः अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए तैयार है।

एकादश और द्वादश दिवस : उत्तरदायित्वों की पुष्टि

इन दिनों में परिवार, कुटुम्ब, समाज और पुरोहित मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि मृतक के अधूरे दायित्वों की उपेक्षा न हो। नए उत्तरदायित्व धारकों की पहचान होती है और सामाजिक स्तर पर उन्हें स्वीकार किया जाता है।

त्रयोदशी : ऋणमुक्ति की सार्वजनिक घोषणा

तेरहवाँ दिन मृतक संस्कारों का चरम बिंदु है।

यह दिन वस्तुतः एक सार्वजनिक घोषणा है कि मृतक ने अपने जीवन के दायित्वों का यथाशक्ति निर्वहन किया। उसके प्रति परिवार और समाज के दायित्व भी पूर्ण हुए। यदि कोई सामाजिक, पारिवारिक अथवा आध्यात्मिक उत्तरदायित्व शेष है, तो अब उसे उसके उत्तराधिकारी और अगली पीढ़ी पूरा करेंगे।

इस प्रकार त्रयोदशी मृतक के जीवन का समापन नहीं, बल्कि उसके दायित्वों की निरंतरता का संस्कार है।

विप्र-आतिथ्य का सामाजिक अर्थ

विप्र यहाँ ज्ञान, परंपरा और समाज के प्रतिनिधि हैं। उनका आतिथ्य और भोजन ग्रहण करना इस बात का प्रतीक है कि समाज ने परिवार के पुनर्गठन, नए उत्तरदायित्वों और दायित्व-निरंतरता को स्वीकार कर लिया है।

यह परिवार की सामाजिक पुनर्प्रतिष्ठा का क्षण है।

भारतीय मृतक संस्कारों का मूल संदेश

भारतीय संस्कृति मृत्यु को जीवन की अंतिम घटना नहीं मानती। वह उसे उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण का अवसर मानती है। व्यक्ति का शरीर समाप्त होता है, किंतु उसके द्वारा निभाए गए यज्ञ समाप्त नहीं होते।

उसके ऋणों की परंपरा, उसके मूल्य और उसके दायित्व अगली पीढ़ी को प्राप्त होते हैं।

इसलिए मृतक संस्कारों का वास्तविक उद्देश्य मृतक को विदा करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि समाज में दायित्वों, मूल्यों और यज्ञ की धारा अविच्छिन्न बनी रहे। मृत्यु व्यक्ति का अंत हो सकती है, किंतु ऋण और यज्ञ की परंपरा का नहीं।

यही भारतीय मृतक संस्कारों का मूल दर्शन है।

पुरुष आयोग बनाम महिला आयोग नहीं, परिवार को बचाने की आवश्यकता है

आज National Commission for Men Bill को लेकर देश में बहस चल रही है। कुछ लोग इसे पुरुषों के अधिकारों की रक्षा का माध्यम बता रहे हैं, तो कुछ इसे महिलाओं के अधिकारों पर हमला मान रहे हैं। लेकिन क्या यही वास्तविक प्रश्न है?

बजरंग मुनि जी की मार्गदर्शक सूत्र-संहिता के आलोक में देखें तो यह पूरी बहस ही गलत आधार पर खड़ी दिखाई देती है। महिला और पुरुष दो विरोधी वर्ग नहीं हैं। वे परिवार रूपी संगठन के अभिन्न अंग हैं। यदि समाज की मूल इकाई परिवार है, तो समाधान भी परिवार को केंद्र में रखकर खोजा जाना चाहिए, न कि महिला बनाम पुरुष की राजनीति के माध्यम से।

वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो लोग इस विधेयक के पक्ष में हैं, वे अनेक बार महिलाओं को कानूनों के दुरुपयोग का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत करते हैं। दूसरी ओर जो लोग इसके विरोध में हैं, वे पुरुषों को संभावित अपराधी और महिलाओं को पूर्णतः निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। दोनों पक्ष अपने-अपने राजनीतिक तर्कों के लिए समाज के आधे हिस्से को कटघरे में खड़ा कर देते हैं।

इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह होता है कि पति-पत्नी, भाई-बहन, माता-पिता और बच्चों के बीच विश्वास की जगह संदेह जन्म लेने लगता है। समाज का सबसे मजबूत आधार परिवार है। यदि परिवार के भीतर ही अविश्वास की दीवार खड़ी कर दी जाए, तो समाज को तोड़ना बहुत आसान हो जाता है।

बजरंग मुनि जी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि सत्ता अक्सर समस्याओं का ऐसा समाधान करती है जिससे एक नई समस्या पैदा हो जाए। पहले विशेष कानून बने, फिर उनके दुरुपयोग की चर्चा हुई, अब उसके समाधान के रूप में पुरुष आयोग की मांग उठ रही है। कल इसके उत्तर में कोई नया आयोग या नया विशेष कानून आएगा। यह क्रम कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि समस्या का मूल कारण यथावत बना रहेगा। वास्तविक समाधान महिला आयोग और पुरुष आयोग की प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि परिवार को संवैधानिक मान्यता देने, पारिवारिक संयुक्त संपत्ति की व्यवस्था स्थापित करने तथा सभी नागरिकों के लिए समान और न्यायपूर्ण कानून लागू करने में है। जब परिवार उत्तरदायी होगा, अधिकार और दायित्व संतुलित होंगे, तब संघर्ष की राजनीति स्वतः कमजोर पड़ जाएगी। यदि सत्ता पहले समाज को विभाजित करे, फिर परिवार को महिला और पुरुष के आधार पर बाँट दे, तो अंततः व्यक्ति अकेला रह जाएगा। एक अकेला व्यक्ति संगठित समाज की तुलना में कहीं अधिक नियंत्रित किया जा सकता है। तब मनुष्य एक स्वतंत्र सामाजिक प्राणी नहीं, बल्कि केवल व्यवस्था का एक पुर्जा बनकर रह जाएगा, जिसे कुछ शक्तिशाली लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार चलाएंगे।

इसलिए आज आवश्यकता पुरुष बनाम महिला की बहस को आगे बढ़ाने की नहीं, बल्कि परिवार, समाज और पारस्परिक विश्वास को बचाने की है। जब तक परिवार मजबूत नहीं होगा, तब तक न पुरुष सुरक्षित होंगे, न महिलाएँ और न ही आने वाली पीढ़ियाँ।

MARGDARSHAK
मार्गदर्शक
"शराफत से समझदारी की ओर"

"हम समाज विज्ञान पर वैश्विक शोध कर ऐसे निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं जो व्यवहारिक भी हों और समाज के लिए भरोसेमंद भी।"

GYANYAGYA
ज्ञानयज्ञ परिवार
वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व की प्रयोगशाला

"ज्ञानयज्ञ परिवार विचार और भावना के संतुलन के साथ सत्य और अहिंसा पर आधारित सामाजिक परिवर्तन की दिशा तय करता है।"

"संविधान सभा"

ऐसे न्यूनतम पाँच सौ लोगों की टीम तैयार करना जो समाज विज्ञान पर रिसर्च करने की क्षमता रखते हैं।

sanvidhansabha.info

"चर्चा कार्यक्रम"

ज्ञान चर्चा-प्रतिदिन शाम 8:00 बजे से 9:00 बजे तक किसी एक पूर्व घोषित विषय पर स्वतंत्र वेबिनार जूम ID 83288549180 और पासवर्ड 12345 है।

मार्गदर्शक प्रकाशन

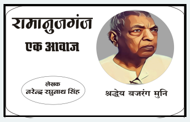

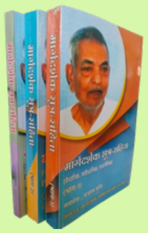

सेट मूल्य ₹100

मार्गदर्शक सूत्र–संहिता: एक नई दिशा

बजरंग मुनि के सात दशकों के शोध पर आधारित, यह श्रृंखला भौतिक प्रगति के दौर में नैतिक और सामाजिक पतन का विश्लेषण करती है।

यह ग्रंथ भारतीय संविधान में राजनेताओं के अनियंत्रित अधिकारों की आलोचना करता है। यह गांधी, नेहरू, संघ परिवार, साम्यवाद और समाजवाद जैसी विचारधाराओं का भी मूल्यांकन करता है।

इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष है: "लोक स्वराज" – स्थानीय समुदायों द्वारा राज्यसत्ता का विकेन्द्रीकरण और नियंत्रण।

मुनि जी और उनके सहयोगियों ने जीवन के व्यावहारिक दृष्टिकोण को इतनी सहजता से पिरोया है कि यह आम पाठकों के दिल को छू लेती है। ज्ञान, जागरूकता और सही दिशा देने वाला यह संपूर्ण सेट मात्र ₹100 में आपकी सोच को एक नया आयाम दे सकता है।

आज ही अपनी प्रति सुरक्षित करें और एक जागरूक समाज के निर्माण में अपना योगदान दें!

पुस्तकों के लिए संपर्क सूत्र : 7000475949 ; 9630766001 ; 7753934242; 8318621282

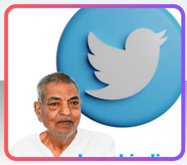

पंजीकृत पाक्षिक
पंजीयन संख्या : 68939/98

डाक पंजीयन क्रमांक -048 / SARGUJA DN/ 2024-26

प्रति,
श्री/श्रीमती ....

....

....

....

संदेश

समाज ही सर्वोच्च है। धर्म उसका सहायक है और राज्य उसका रक्षक। राज्य का काम न्याय और सुरक्षा तक सीमित रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा दखल भ्रष्टाचार, जातीय तनाव और सांप्रदायिकता बढ़ाता है। आज परिवार व्यवस्था लगातार कमजोर पड़ रही है, इसलिए किसी भी बड़े समाधान की शुरुआत परिवार और समाज को फिर से मजबूत, स्पष्ट और अधिकार संपन्न बनाने से ही हो सकती है।

पत्र व्यवहार का पता

बजरंग लाल अग्रवाल पोस्ट बाक्स 15, रायपुर (छ.ग.) 492021

website : margdarshak.info

प्रकाशक, संपादक व स्वामी - बजरंगलाल
9617079344
mail : Support@margdarshak.info

मुख्य कार्यालय-
ज्ञानयज्ञ परिवार आश्रम
रामानुजगंज छत्तीसगढ़ 497220
8318621282, 9630766001

लोक स्वराज अभियान
303 कृष्णा शिप्रा अजूरा अपार्टमेंट कौशांबी
गाजियाबाद 201012
9325683604, 9012432074

मुद्रक : माया प्रेस रामानुजगंज, सरगुजा (छ.ग.)

हम आपको ज्ञान तत्व भेजते रहे हैं, लेकिन मुनि जी के रिटायरमेंट के बाद हमारी कुछ आर्थिक मजबूरियाँ भी आ गई हैं। हम लोगों का काम भी बढ़ रहा है और खर्च भी बढ़ रहा है। इन परिस्थितियों में हम लोगों ने तय किया है कि जो लोग कम से कम वर्ष में ₹250 संस्था को देंगे, उनके निवेदन पर ही हम उन्हें ज्ञान तत्व पाक्षिक पत्रिका की छपी हुई प्रति पोस्ट से भेजेंगे।

अब तक ऐसे 742 आवेदन हमें मिल चुके हैं, जिन्होंने या तो इस तरह की मदद की है या ऐसी सहमति व्यक्त की है। हमने यह भी तय किया है कि यदि कोई अलग से व्हाट्सएप से कॉपी चाहेगा तो हम उन्हें ₹50 वार्षिक पर भेजते रहेंगे। अन्य सबके लिए वेबसाइट पर निशुल्क उपलब्ध रहेगी ही।

इस तरह आप कुछ नए नाम भी जोड़ सकते हैं। हम आपसे यह भी मदद चाहते हैं कि आप ज्ञान तत्व में जो भी पढ़ते हैं, उस पर अपने प्रश्न, विचार या प्रतिक्रियाएँ व्हाट्सएप के द्वारा, मोबाइल फोन के द्वारा अथवा पत्र के द्वारा हमें भेजने में मदद करें। इससे हमें आपसे उत्तर देने और चर्चा करने में सुविधा होगी तथा हमें अपनी बातों में सुधार करने का भी अवसर मिलेगा।